हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2018 को माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

16.03.2018/1100/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 126

श्री पवन कुमार काजलः माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सूचना सभापटल पर रखी गई है, एक तो मैं आपके माध्यम से सरकार और मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो मटौर में पिछले छः महीने पहले कॉलेज खोला था वहां पर 11,10,66,000/- रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाह रहा था कि पिछले साल इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बच्चों की संख्या 450 थी और उसमें 85 परसैंट लड़कियां वहां पर पढ़ रही हैं। इसके लिए आपने बजट का प्रावधान तो कर दिया। भूमि को भी शिक्षा विभाग के नाम स्थानान्तरित करने के लिए मामला उपायुक्त कांगड़ा को भेज दिया गया। मैं मंत्री जी से यह जानना चाह रहा था कि वहां पर 450 के लगभग बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं और अब इसमें सैकिंड ईयर चलेगा तो क्या आप जल्दी-से-जल्दी इसके भवन का निर्माण शुरू करवायेंगे।? कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा विधान सभा क्षेत्र था जहां पर कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था। पिछली प्रदेश सरकार ने वहां पर दो-दो कॉलेज खोले। एक चंगर क्षेत्र में और दूसरा पलम क्षेत्र में। चंगर क्षेत्र में जो कॉलेज है उसमें आज की डेट में 600 के लगभग बच्चे हैं और वहां भी 85 परसैंट लड़कियां हैं। पहले चंगर क्षेत्र होने के नाते वहां कई बच्चे दो-दो, तीन-तीन साल घर में बैठे थे अब उन्होंने भी एडमिशन ले रखी थी। यहां पर वर्तमान में 600 के लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे यहां पर आर्टस और कॉमर्स विषय चले हैं क्या आप भविष्य में यहां पर साइंस की क्लासें शुरू करने की योजना बनायेंगे?

16.03.2018/1100/SS-DC/2

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो पहला प्रश्न राजकीय महाविद्यालय मटौर के बारे में किया है उसमें 440 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जब यह कॉलेज खोला गया तो राजकीय प्राथमिक पाठशाला के चार कमरों में इन्होंने कॉलेज प्रारम्भ करवा दिया और उसमें केवल एक लाख का प्रोविजन किया गया। जैसा माननीय सदस्य ने भी कहा है, हमने इसमें 11,10,66,000/- रुपये के एस्टीमेट्स बना कर इनके यहां भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ-साथ भवन निर्माण हेतु हिमाचल

प्रदेश सरकार की आरक्षित पूल की 01.32.12 हैक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। जिसके लिए प्रिंसीपल ने डी0सी0 कांगड़ा को लिख दिया है कि इसकी रेवेन्यू एंटरीज़ शिक्षा विभाग के नाम हो जाएं। उसके लिए प्रक्रिया चल रही है और इस बार के बजट में भी हमने इसके लिए प्रावधान किया है।

16.03.2018/1105/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या 126 जारी---

शिक्षा मंत्री जारी---

लेकिन जिस प्रकार के कॉलेज खोले गए, प्राइमरी स्कूल के तीन कमरों में वह प्रारम्भ कर दिया गया,। अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ करना तो आसान है लेकिन 11-12 करोड़ का भवन बनना है और उसके लिए अभी तक भूमि का चयन नहीं किया गया है। भूमि का हस्तांतरण होगा, प्रॉपरली भूमि अवेलेबल होगी, इन सारी चीजों को देखकर इसमें समय लगना स्वभाविक है और मैं माननीय सदस्य से भी निवेदन करुंगा कि ये भूमि चयन करने में, भूमि के हस्तांतरण में सहयोग करें ताकि कॉलेज का काम शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ हो सके। कॉलेज चल रहा है इसलिए कॉलेज को हम चलाएंगें। दूसरा, एक तकीपुर में कॉलेज है ।इन्हीं के विधान सभा क्षेत्र में दो कॉलेज एक साथ शुरू हो गए इसमें 9 करोड़ 90 लाख 70 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ-साथ 5 करोड़ 75 लाख रुपये इसके अधिशासी अभियन्ता को दे दिए गए हैं। भवन का निर्माण हो रहा है और जब निर्माण पूरा हो जाएगा, वहां के नॉर्मज़ पूरे होंगे, क्योंकि विज्ञान संकाय को चलाने के लिए कम से कम पांच सौ बच्चों का होना आवश्यक है लेकिन अभी इस कॉलेज की संख्या पांच सौ से कम है। दूसरे, वहां पर लैब का होना आवश्यक है, भवन का होना आवश्यक है। भवन निर्माण हो रहा है जब वह हो जाएगा और इसके साथ ही जब वहां पर बच्चे ज्यादा हो जाएंगें तो वहां पर कॉमर्स और विज्ञान की कक्षाएं चलाएंगें। अभी वहां पर विज्ञान की कक्षाएं नहीं चलाई जा सकती क्योंकि प्राइमरी स्कूल के तीन कमरों में ही यह कॉलेज चल रहा है। पिछली सरकार ने बिना किसी इन्फ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी जमीन के, बिना किसी

बिल्डिंग के प्राइमरी स्कूलों को भी नुकसान पहुंचाया । प्राइमरी स्कूलों के कमरे कॉलेजों को दे दिए गए । क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में कॉलेज चल रहे हैं तो विज्ञान की कक्षाएं तो वहां पर नहीं चल सकेगी। जब भवन बनेगा तो चला दी जाएगी।

श्री पवन काजलः अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से पहले भी माननीय मंत्री जी का धन्यवाद किया कि आपने बजट की स्वीकृति दे दी और इस बार 10 लाख रुपये

16.03.2018/1105/केएस/डीसी/2

बजट भी दे दिया। मैं सरकार से यह चाह रहा था, मैं तो वहां का जन-प्रतिनिधि हूं और मेरा जितना सहयोग हो सकेगा मैं तो दूंगा ही क्या सरकार का भी सहयोग रहेगा कि यह जल्दी से जल्दी बने? 440 बच्चे फर्स्ट ईयर में थे अब अगला सैशन चलेगा तो इनकी संख्या बढ़कर लगभग 800 हो जाएगी । दूसरा, आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि यह कॉलेज प्राइमरी स्कूल में नहीं खोला गया था। यहां पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल है, पता नहीं विभाग ने आपको ऐसी सूचना दी होगी लेकिन यह सीनियर सैकण्डरी स्कूल है । यह नई बिल्डिंग बनी थी और इसमें 4 कमरे थे। मैं सरकार से यह सहयोग चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग का काम शुरू किया जाए।

अध्यक्षः वैसे तो मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दे दिया है फिर भी क्या माननीय मंत्री जी आप कुछ और एड करना चाहेंगें?

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की सभी शंकाएं दूर कर रहा हूं। हमने मटौर कॉलेज के लिए 11 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की है और तकीपुर के कॉलेज के लिए तो पैसा भी दे दिया गया है। उसमें काम चल रहा है। भवन निर्माण करने में तो समय लगेगा। मटौर में जमीन नहीं है और जो सरप्लस स्कूल है उसकी जमीन अभी तक चिन्हित की है । डी.सी. को प्रिंसिपल ने उसके लिए लिखा है। उस जमीन का डी.सी. से हस्तांतरण हो जाएगा तो उस पर प्रशासनिक स्वीकृति के साथ-साथ बजट प्रोविज़न भी किया है। अब किसी भी प्रकार का प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक का कोई भी इंस्टीट्यूशन

खोलेंगें, नार्मज़ को फुलफिल करने के बाद और वहां पर पूरी व्यवस्था करने के बाद, बजट प्रोविज़न करने के बाद तथा वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद ही खोलेंगें।

16.3.2018/1110/av/hk/1

प्रश्न संख्या : 126---------- क्रमागत

शिक्षा मंत्री------- जारी

हम इस प्रकार से कोई भवन नहीं खोलेंगे जिसमें वित्त विभाग ने संस्तुति नहीं की हो। जिसमें 5 करोड़ रुपये की घोषणा करके एक लाख रुपये दे दिए हो, इस प्रकार का इंस्टिच्यूशन भी नहीं खोलेंगे जो शायद बाद में चल नहीं सके। इसलिए आपके दो में से एक कालेज को प्रोपर काम करने की स्वीकृति मिल चुकी है और दूसरे का जमीन चिन्हित होने के बाद ही काम शुरू किया जायेगा। तकीपुर कालेज के लिए इस बार भी 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जिन स्कूल/कालेज में बच्चे पढ़ रहे हैं और जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए जरुरत है वहां पर हमारी किसी भी प्रकार की व्यवधान डालने की इन्टैंशन नहीं है। हम हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काम करेंगे लेकिन जहां पर आपने बिना किसी नॉर्म्स, इनफ्रास्ट्रक्चर और बिना बच्चों के स्कूल / कालेज खोल दिए हैं वहां पर तो विचार करना ही पड़ेगा क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा अननैसेसरी वैस्ट नहीं किया जा सकता।

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, यह कांगड़ा में कालेज कनस्ट्रक्शन का मामला है और हमारा इनके साथ लगता हुआ क्षेत्र है। कांगड़ा में तो वैसे भी एक बहुत पुराना डी0ए0वी0 कालेज चल रहा है। नूरपुर में हमने पिछली भाजपा सरकार के समय 6 हैक्टेयर जमीन का चयन किया था और उसके लिए सारी परमिशन ले ली थी लेकिन बाद में सरकार चली गई। अगली सरकार ने आने के बाद आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने वहां पर शिलान्यास किया। मैंने जब अब सरकार आने पर उसके बारे में पता किया तो बताया गया कि उसके लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया है। मैं आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप कुछ कृपा नूरपुर के लिए भी करेंगे?

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष जी, यह प्रश्न मटौर और तकीपुर कालेज से सम्बंधित पूछा गया है। इनके कालेज के बारे में मेरे पास अभी सूचना नहीं है लेकिन अगर वहां पर कालेज खुला है और वहां पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो निश्चित तौर पर हम उसके लिए धन की व्यवस्था करेंगे और आपका कालेज चलाया जायेगा। वह कालेज बिल्कुल चलाया जायेगा या फिर आप इस बारे में स्पेसिफिक प्रश्न करेंगे तो हम इसको कर देंगे।

16.3.2018/1110/av/hk/2

अध्यक्ष : आप कांगड़ा के लिए क्या पूछेंगे। यह प्रश्न कांगड़ा से सम्बंधित है और माननीय मंत्री जी ने दूसरे के लिए भी मना कर दिया है।

श्री राम लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं उससे कुछ शंकाएं पैदा होती है। शंकाएं इसलिए पैदा होती है क्योंकि मंत्री जी यह कह रहे हैं कि बिना बिल्डिंग के कालेज खोल दिया। मुझे आप यह बताएं कि हिमाचल प्रदेश में या किसी भी राज्य में किसी स्कूल या कालेज के लिए क्या पहले बिल्डिंग बनेंगी तब कालेज खुलेगा या तब प्राइमरी स्कूल खुलेगा? गवर्नमैंट पहले अनाउंसमैंट करती है फिर उसके लिए पंचायतें प्रावधान करती है और लोग लिखकर देते हैं उसके बाद वह इंस्टिच्यूशन अपग्रेड/खुलता है। यह कहना कि कालेज/स्कूल के लिए बिल्डिंग का प्रावधान करो उसके बाद कालेज/स्कूल खुलेगा, यह ठीक नहीं है, यह गलत है।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सशंकित ही रहेंगे क्योंकि इनकी सरकार ने इस प्रकार से पहले किया हुआ है। कल जैसे हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी कह रहे थे कि इनका कालेज खुल गया था लेकिन उसको जानबूझकर इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वह माननीय बिक्रम सिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में था। हम इस प्रकार की राजनीतिक द्वेष-भावना से न तो कोई चीज बंद करेंगे और न ही कोई इंस्टिच्यूशन बिना किसी नॉर्म्स के खोलेंगे। नॉर्म्स फुलफिल करना किसी भी इंस्टिच्यूशन/विद्यालय के लिए आवश्यक है। यह आपकी ही सरकार के समय के नॉर्म्स बने हुए हैं और अगर नॉर्म्स फुलफिल करते हैं तो हम उसके अनुसार इंस्टिच्यूशन खोलेंगे। लेकिन जो आपने बिना नॉर्म्स के खोल दिए हैं उस पर तो विचार करना पड़ेगा। नॉर्म्स भी आप बनाएं और उसको तोड़े भी आप ही, ऐसा तो सम्भव

नहीं हो सकता। इसलिए नॉर्म्स के मुताबिक होगा तो हम इंस्टिच्यूशन खोलेंगे और अगर नॉर्म्स के मुताबिक नहीं होगा तो इंस्टिच्यूशन नहीं खोले जायेंगे।

16-03-2018/1115/NS/ /1

प्रश्न संख्याः 127

श्री मुलख राजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो सिंचाई की कूहलें हैं, पिछले 15 वर्षों से उनमें पानी नहीं है। इन कूहलों से लगभग 95 प्रतिशत किसान खेती करते हैं, सब्जी उगाते हैं। मगर आज मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन कूहलों में 15 वर्षों से पानी नहीं है और इससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। वे बार-बार पूछ रहे हैं कि हमारी इन कूहलों में पानी कब आयेगा? मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयज़ल की समस्या बहुत ज्यादा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं। जिस समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी का प्रवास मेरे क्षेत्र में हुआ था, उस समय इन्होंने लगभग 2.40 करोड़ रुपये की व्यवस्था पेयज़ल योजना के लिए की है। मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि इन कूहलों का काम कब शुरू होगा और इनमें पानी कब चलेगा?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जानना चाहा है, प्रश्न के 'क' भाग में जो तडूहल कूहल है, हम इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसके कार्य को पूरा कर लेंगे। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके विधान सभा क्षेत्र के अंदर सात और कूहलें हैं। जो ये सात कूहलें हैं, इनके लिए काफी ज्यादा धन की आवश्यकता है। इन कूहलों पर लगभग 6 करोड़ रुपये की राशि खर्च होनी है। पिछले पांच सालों में मात्र 37.99 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। इन्होंने ठीक कहा है कि वहां पर सिंचाई की आवश्यकता है। हमारे किसान सिंचाई से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। मेरा माननीय सदस्य जी से अनुरोध रहेगा कि इनके क्षेत्र की जो बाकी कूहलें हैं, ये इन सब कूहलों को इक्ट्ठा करके अपनी विधायक प्राथमिकता में डालें। क्योंकि इन कूहलों के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये की राशि का प्रश्न है और 6 करोड़ में 7 कूहलों के अलावा 5 कूहलें और हैं। ये कुल मिला करके 12 कूहलें बन जाती हैं। इन 12 कूहलों के लिए हमें लगभग 6.62 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है। मेरा माननीय विधायक जी से विनम्र आग्रह

रहेगा कि आप इन कूहलों को विधायक प्राथमिकता में डालें ताकि नाबार्ड को भेजी जायें और इन सारी कूहलों का निर्माण कार्य समयावधि के बीच में हो सके।

16.03.2018/1120/RKS/YK-1

<u>प्रश्न संख्याः128</u>

श्रीमती कमलेश कुमारीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, भोरंज में केवल एक पी.एच.सी. थी और इसका दर्ज़ा बढ़ाकर सी.एच.सी. किया गया। मैं यह जानना चाहती हूं कि इसे सी.एच.सी. का दर्ज़ा कब दिया गया? यदि सी.एच.सी. का दर्ज़ा दिया गया है तो उसमें बिल्डिंग और मशीनरीज वगैरह के लिए बजट का क्या प्रावधान किया गया है? यह कितने बिस्तरों का सी.एच.सी. है? बी.एम.ओ. के अलावा इस सी.एच.सी. में कितने डाक्टरों की नियुक्ति की गई; कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और यह पद कब तक भर दिए जाएंगे? मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि जो पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनको जल्द भरा जाए।

अध्यक्षः ये जो यहां पर टैक्निकल असिस्टैंट हैं, वे नये मैम्बर्ज़ को बताएं कि प्रश्न का उत्तर ऑन लाइन कैसे देखना है। क्योंकि इनके निर्वाचन क्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल का पूरा उत्तर ऑन लाइन आया हुआ है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या जी ने जानना चाहा है, उसके बारे में मैं यह अवगत करवाना चाहता हूं कि यह जो भोरंज का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसे वर्ष 2014 में अपग्रेड करके सिविल होस्पिटल बनाया गया था। इस हॉस्पिटल में बिस्तरों की संख्या और जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि यह 50 बिस्तरीय अस्पताल है। सिविल हॉस्पिटल, भोरंज में कुल स्वीकृत पद 50 हैं और लगभग 40 पद भरे गए हैं। 39+1 पद सरप्लस हैं। मैं कह सकता हूं कि 11 पद रिक्त हैं। दूसरा,

इन्होंने जानना चाहा है कि बिल्डिंग की क्या स्थिति है? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या जी को यह बताना चाहता हूं कि इस भवन के निर्माण के लिए जो प्रारम्भिक औपचारिकताएं होती हैं, जैसे, ड्रॉइंग बनाना, उसकी अप्रूवल लेना इत्यादि-इत्यादि प्रारम्भिक काम शुरू हो

16.03.2018/1120/RKS/YK-2

चुके हैं। इन्होंने यह भी जानना चाहा है कि डॉक्टर्ज़ के कुल कितने पद रिक्त हैं? डॉक्टर्ज के स्वीकृत पद 5 हैं और 2 पद रिक्त पड़ हुए हैं। इन्होंने यह भी आश्वासन लेना चाहा है कि ये पद कब तक भरे जाएंगे? रिक्तियों को भरने का काम एक निरंतर प्रक्रिया है। वैसे भी डॉक्टर्ज़ की अप्वाईंटमैंट के लिए हम हर मंगलवार को डायरैक्टरेट हैल्थ सर्विसिज में वॉक-इन-इंटरव्यू करते हैं। आने वाले दिनों में जब इंटरव्यूज होंगे तो जहां-जहां पर रिक्त पद पड़े हुए हैं, उनको भरा जाएगा। यह मैं माननीय सदस्या जी को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्रीमती कमलेश कुमारीः अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि पिछली सरकार के समय में इस पी.एच.सी. को अपग्रेड करके सिविल हॉस्पिटल का दर्ज़ा दिया गया था। लेकिन यहां पर बात की गई कि यह वर्तमान में 50 बिस्तरीय सिविल हॉस्पिटल के रूप में कार्यरत है।

16.03.2018/1125/बी0एस0/वाई0के0-1

प्रश्न संख्याः 128.....क्रमागत

श्रीमती कमलेश कुमारी (भोरंज).....जारी

लेकिन यह जो सिविल अस्पताल है इसमें 16 बिस्तर से भी कम बिस्तर हैं । जब मेरा बेटा बीमार था, जो अस्पताल नजदीक था मैं पहले उसमें ईलाज करवाने के लिए बेटे को ले गई। जब मैंने इस अस्पताल को देखा तो मैंने वहां देखा कि उसमें जो मरीज थे उसने बैड

बाहर लगे हुए थे। मेरे आदरणीय मुख्यमात्री जी थी यहीं बैठे हैं। मेरी अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा इस अस्पताल में जो-जो कमियां हैं उन्हें पूरा करने की कृपा करें। यह जो भौरंज का सिविल अस्पताल है इसे सिविल अस्पताल का दर्जा पिछली सरकार ने दिया है। इस अस्पताल का भवन नहीं बना है, डॉक्टर्स भी नाममात्र के हैं और इसमें सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। मेरा आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार से विन्रम निवेदन रहेगा कि इस अस्पताल का दर्जा भी बढ़ाया जाए और स्टाफ को भी पूरा करने की कृपा करें, धन्यवाद।

स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय सदस्या श्रीमती कमलेश कुमारी जी ठीक कह रही हैं, वही कार्य हुआ होगा जो फट्टे लाने वाली बात है। अब शायद वहां भी अपग्रेडेशन का वह फट्टा लग गया होगा। यह ठीक कह रहीं हैं कि अपग्रेडेशन तो हो गई लेकिन जो सुविधाएं वहां होनी चाहिए थीं वह वहां पर उपलब्ध नहीं हुई। वहां की ये सम्माननीय सदस्य हैं कह रही है कि 50 बिस्तरों का अस्पताल हो गया और 16 बिस्तर वहां पर हैं। यह तमाम बातें इन्होंने ध्यान में लाई हैं मैं तो आपके माध्यम से माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसकी अपग्रेडेशन हुई है और जो यहां मूल भूत सुविधाएं जैसे बिस्तरों को बढ़ाने की बात है एवं अन्य सुविधाएं हैं, वह हम उपलब्ध करवाएंगे। यह मैं आश्वस्त करता हूं।

16.03.2018/1125/बी0एस0/वाई0के0-2

प्रश्न संख्याः 129

श्री जगत सिंह नेगी (प्रधीकृत): अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने यहां दिया है। इसमें सिलाई क्षेत्र में 11 वाटर सप्लाई स्कीमज और 10 इरीगेशन स्कीमज के बारे में कहा गया है। यह स्कीमें 2008 से और कुछ उसके बाद से शुरू हुईं। इनमें ज्यादातर स्कीमज जो हैं वह नाबार्ड और NRDWP की हैं जिनमें पर्याप्त धन भी उपलब्ध है, यहां पर मंत्री जी जो धन की उपलब्धता की बात करते हैं, आपने इसमें दर्शाया है कि कब आप इसे कम्पलीट करने वाले हैं। कुछ स्कीमें ऐसी है जिसमें 10 प्रतिशत कार्य हुआ है उसके लिए आप कह रहे हैं कि मार्च, 2018 में पूरा करने वाले हैं। मार्च, 2018 तो आ गया, शायद अब

उद्घाटन भी आप करने वाले होंगे और कुछ जो स्कीमें जो 70-80 प्रतिशत पूरी हो गई हैं जो इसमें दर्शाया गया है उनके लिए आप कह रहे हैं कि आप 2019 में इन्हें पूरा करेंगे। इसलिए यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है। जो विसंगति यहां पर मंत्री जी बताई है क्या इसे आप ठीक करेंगे?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न माननीय हर्ष वर्धन जी ने माननीय जगत सिंह नेगी जी को Authorise किया है । मैं माननीय सदस्य जी को यह बाता चाहता हूं कि ये पेयजल की 11 स्कीमें हैं और जो 11 स्कीमें है उनमें 10 NRDWP है। भारत सरकार से पैसा आता है और स्कीम नार्बाड की है। अब 2017-18 में जो 10 स्कीमें NRDWP की हैं, नेगी जी आपको ही बता पाऊंगा,

16.3.2018.1130/DT/AG/ -1

प्रश्न संख्याः 129...क्रमागत

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जारी.....

माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन चौहान जी इस सदन में उपस्थित नहीं है। वर्ष 2017-18 के बजट में इन 10 स्कीमों को पूरी करने के लिए 4 करोड़ 71 लाख 43 हजार रूपये का बजट चाहिए था। आप लोग पूछ रहे हैं कि अब मार्च, 2018 आ गया और ये स्कीमें कब पूरी होगी? इस वित्तीय वर्ष में 4 करोड़ 71 लाख 43 हजार रुपये चाहिए था। इन 10 स्कीमों के लिए कितना बजट रखा हुआ है, यह अनुलग्नक में दिया हुआ है। केवल मात्र 3 लाख रुपये। पूर्व सरकार ने NRDWP के अंदर 10 स्कीमें डाल दी और उन 10 स्कीमों के लिए 4 करोड़ 71 लाख रुपये चाहिए था। परन्तु उसके स्थान पर केवल मात्र 3 लाख रुपये ही दिया गया। यह कैसे समभव हो सकता है कि ये स्कीमें मार्च, 2018 में पूरी हो जाए या अगले वित्तीय वर्ष में पूरी हो जाए। जैसे-जैसे धन का प्रावधान होगा क्योंकि NRDWP का पैसा भारत सरकार से आता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, NRDWP में जो राशि वर्ष 2013-14 और 2014-15 में आई थी वह राशि बहुत थी। लेकिन वर्ष 2015-16 और 2016-2017 में यह राशि बहुत कम

हो गई । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 2016-17 में जो राशि लगभग 65 करोड़ रह गई थी, अब हमने इस राशि को बढ़ाकर लगभग 102 करोड़ रुपये किया है। ये जो 10 स्कीमें NRDWP की हैं यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसके साथ हमारी और भी स्कीमें हैं। इनमें सिंचाई की 10 योजनाएं हैं। ये सिंचाई की योजनाएं नाबार्ड की हैं। ..व्यवधान..नेगी जी यह उत्तर आपके पास भी हैं। नाबार्ड में भी जहां 2017-18 में 3 करोड़ 34 लाख रुपये चाहिए था, वहां केवल मात्र 66 लाख रुपये दिया गया। और नाबार्ड में भी एक विचित्र स्थिति बनी हुई है इतनी ज्यादा स्कीमें सैंक्शन कर दी गई है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। नाबार्ड में पहले जो भी प्राजेक्ट सैंक्शन होता था उसके लिए एकमुश्त राशी दी जाती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा कि पिछले 5 वर्षो में सिस्टम बदल गया है। अब स्कीमें बहुत ज्यादा सैंक्शन कर दी है, फिर उन स्कीमों को थोड़ा-थोड़ा पैसा देते रहते हैं। एक ऐसी स्थति हो गई है कि वर्ष 2014-2015, 2015-

16.3.2018.1130/DT/AG/ -2

2016 में नाबार्ड, आर.आई. डी.एफ की स्कीमें अभी तक ऑनगोइंग पड़ी हुई है। जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। अब जो स्कीमें वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, RIDF में सैंक्शन थी उनके रेट बढ़ गए। जो कार्य 2 करोड़ में होना था वह अब 3 करोड़ में हो रहा है। आई0 पी0 एच0 विभाग में नाबार्ड की स्कीमों की पुरे प्रदेश में सब से ज्यादा पैंडेंसी है। अब जैसे -जैसे धन की उपलब्धत होगी क्योंकि काम तो धन से ही होगा उसी प्रकार से इन स्कीमों के काम को आगे बढ़ाया जाएगा

अध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने बड़ा विस्तृत उत्तर दे दिया है।

श्री जगत सिंह नेगी जी : अध्यक्ष महोदय, जो NRDWP की स्कीमें है और आपने उत्तर में भी दर्शाया है, इसके लिए आप ने टारगेट भी दिया है कि वर्ष 2018 में सारी स्कीम्ज कम्प्लीट करेंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इन स्कीमों के लिए 3 लाख रुपये का बजट है तो वर्ष 2018 में यह स्कीमें कैसे कंप्लीट होगी।

16.03.2018/1135/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 129 ...जारी

श्री जगत सिंह नेगी...जारी

आप ही का जवाब है कि वर्ष 2018 में कंपलीट करेंगे। जो काम केवल 10% हुआ है उसको आप इसी मार्च में कंपलीट कर रहे है। इसके लिए पैसा कहां से आएगा, यह मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ज़रा संक्षिप्त उत्तर दें ताकि अगला प्रश्न लिया जा सके।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है - likely date of completion - साथ में likely लिखा है। नेगी जी, धन की उपलब्धता के ऊपर ही सब-कुछ निर्भर करता है।

अध्यक्ष : यह हर्ष जी के साथ विशिष्ट प्रेम के कारण ही हुआ होगा।

16.03.2018/1135/SLS-AG-2

प्रश्न संख्या : 130

श्री विक्रमादित्य सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि पूर्व में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो सरकार द्वारा और मुख्य मंत्री द्वारा यह कहा गया था कि कुछ शिक्षा संस्थानों को समय रहते बंद किया जाएगा या उन्हें रिवियु किया जाएगा। उस आशंका के कारण हमने यह प्रश्न लगाया है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से यह आश्वासन चाहूंगा कि भविष्य में, जो भी कॉलेज खुले हैं, खास तौर पर जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में खुले हैं, उनको बंद न करवाया जाए और उनके लिए बजटरी प्रोविज़न करवाया जाए।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रश्न स्पैसिफिक पूछा है कि क्या कोई संस्थान बंद किए गए हैं? हमने उत्तर दिया है कि हमने कोई शिक्षा संस्थान, चाहे वह कॉलेज है या स्कूल है, बंद नहीं किया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 2016 में इनके समय में ही इन्होंने स्वयं 158 स्कूल्ज को डिनोटिफाई किया है, बंद किया है क्योंकि उनमें ज़ीरो एनरोलमैंट थी। इसलिए स्वाभाविक था कि आपको उन्हें बंद करना पड़ा। फिर 2016 में ही 109 स्कूल्ज को मर्ज़ किया गया क्योंकि उनमें 5 की संख्या से कम बच्चे थे। हमने अभी तक कोई स्कूल बंद नहीं किया है। हम यह सारी समीक्षा कर रहे हैं। आपने तो ऐसे स्कूल खोले हैं जहां कोई नार्मज अप्लाई नहीं हुए, जहां पर एक भी बच्चा नहीं है और वैसे स्कूल अभी भी चल रहे हैं। आज ही मेरे पास एक अध्यापक आया था जिसने कहा कि मेरे स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है, इसलिए मुझे किसी दूसरे स्कूल में भेज दिया जाए। ऐसे स्थानों पर जब ज़रूरत होगी तो निश्चित रूप से मर्ज़र भी हो सकता है और स्कूल बंद भी हो सकते हैं क्योंकि जब बच्चे नहीं होंगे तो स्कूल को ज़ारी रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जहां तक स्कूलों को बंद करने का सवाल है, जो कि आपका स्पैस्फिक प्रश्न था, हमने अभी तक कोई स्कूल बंद नहीं किया है। माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में अगर नार्मज के अनुसार संस्थान होंगे तो वह निश्चित रूप से चलेंगे, अगर नार्मज के बिना

16.03.2018/1135/SLS-AG-3

होंगे या बिना बच्चों के होंगे तो बिना बच्चों के वहां दीवारों को तो कोई अध्यापक पढ़ाएगा नहीं, इसलिए स्कूल चलेगा भी नहीं।

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आप मापदंड और गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, इसलिए जो कॉलेजिज पिछली सरकार के समय खुले हैं, उनमें किन-किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? आप हाऊस में बता रहे हैं कि गुणवत्ता के आधार पर संस्थान चलेंगे या आप कोई मापदंड रखेंगे। क्या यह सारा आप राजनीतिक द्वेष भावना से करने जा रहे हैं या जो ग्राऊंड पर फैक्ट्स हैं, उनके आधार पर? उसमें आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे?

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, ये पता नहीं कितनी बार राजनीतिक द्वेषभाव शब्द को रिपीट कर रहे हैं। मैंने कहा है कि हमने तो अभी तक एक भी संस्थान बंद नहीं किया है। इसलिए इसमें द्वेषभाव का कोई मतलब नहीं है और राजनीतिक द्वेषभाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

16/03/2018/1140/RG/DC/1
प्रश्न सं. 130---क्रमागत
शिक्षा मंत्री------जारी

इसके लिए जो नॉर्म्ज सरकार ने तय किए हैं और अधिकांश समय तो सरकार में ये ही रहे हैं, तो जो नॉर्म्ज इन्होंने तय किए हैं, उनके अनुसार यदि स्कूल-कॉलेज खुलेंगे, तो वे स्कूल-कॉलेज चलेंगे। जैसे प्राथमिक विद्यालय के लिए पड़ोस से वाकिंग डिस्टेन्स 1.5 किलोमीटर होना चाहिए और 6 से 11 वर्ष की आयु के कम-से-कम से उसमें 25 बच्चे उस स्कूल में एनरोलमेंट के लिए होने चाहिए। ये नॉर्म्ज मैंने तय नहीं किए हैं, मैं तो अभी मंत्री बना हूं। ये नॉर्म्ज इन्होंने ही तय किए हैं। मिडिल स्कूल के लिए पड़ोस से 3 किलोमीटर का डिस्टेन्स होना चाहिए और उसमें भी 25 बच्चे कक्षा-पांच में जो फीडिंग प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें होने चाहिए। अब इन्होंने तो अपने बनाए हुए नॉर्म्ज का ध्यान नहीं रखा और जानबूझ कर इन्होंने उसको समाप्त किया है। इन्होंने ही इस प्रकार के नॉर्म्ज के बगैर स्कूल खोले होंगे और फिर वित्तीय प्रावधानों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि वित्त विभाग की संस्तुति तो इनके शब्दकोश में कहीं थी ही नहीं। इसलिए इस प्रकार से स्कूल-कॉलेज खोले गए। हम गुण-दोष के आधार पर यह सब करेंगे। क्योंकि हमने कहा है कि अब श्री जय राम ठाकुर जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीति के नए युग का सूत्रपात हुआ है। यह इसी आधार पर हमने कहा है कि यह किसी राजनीति द्वेषभाव के कारण नहीं बल्कि नियमों के अनुसार जो होगा, उसके अनुसार ही यह सरकार काम करेगी।

अध्यक्ष : अब श्री सुख राम जी अपना प्रश्न करेंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी राजनीति कर रहे हैं।

अध्यक्ष : मुकेश जी, मैं आपको बाद में समय देता हूं। अभी श्री सुख राम जी को प्रश्न करने दें। आप बैठिए, मैं आपको बाद में समय दूंगा। ऐसा नहीं होता, आप बैठिए। पहले श्री सुख राम जी को प्रश्न करने दें, आपकी भी बारी आएगी।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने आज जो भी जवाब दिए हैं, हम उन्हें खामोशी से सुन रहे हैं। ---(व्यवधान)----

16/03/2018/1140/RG/DC/2

अध्यक्ष : आप बैठिए। ---(व्यवधान)----आप सभी कृपया बैठ जाएं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय मंत्री जी तो ऐसे सन्देश दे रहे हैं जैसे शिक्षा की शुरूआत इनके समय ही हुई हो। ---(व्यवधान)----

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, इनका जब दिल करता है, तब बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

(**पक्ष एवं विपक्ष के कुछ सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने लगे**)

अध्यक्ष : आप लोग बैठिए।---(व्यवधान)----मैं आपको समय दूंगा, अभी आप बैठ जाएं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है। इन्होंने पहले प्रश्न में भी ऐसा ही उत्तर दिया और दूसरे प्रश्न में भी इसी प्रकार का उत्तर दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले दो सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अवाड्र्ज मिल रहे हैं।---(व्यवधान)----

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बैठिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : लेकिन ये तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे इससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में अन्धकार छाया हुआ था और सुरेश भारद्वाज जी के आते ही शिक्षा के क्षेत्र में उजाला हुआ है, अभी बच्चे पढ़ेंगे और अभी सब कुछ नया होगा। ऐसा थोड़े ही होता है---(व्यवधान)---
-अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चलेगा। ---(व्यवधान)----

अध्यक्ष : कृपया आप लोग बैठ जाएं। ---(व्यवधान)----सभी सदस्य, कृपा करके बैठ जाएं।---(व्यवधान)----बैठ जाएं। मुकेश जी, दो मिनट बैठिए।

श्री राकेश पठानिया : अध्यक्ष महोदय, ---(व्यवधान)----

अध्यक्ष : राकेश जी, आप बैठिए। ---(व्यवधान)----आप सभी बैठ जाएं। ---(व्यवधान)----माननीय मंत्री जी, आप बैठिए। ---(व्यवधान)----विनय जी, कृपया बैठ जाएं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, कोई भी उत्तर ठीक नहीं मिल रहा है। 'यह पूर्व सरकार कर गई', बस यही रटारटाया उत्तर मंत्री लोग दे रहे हैं।

16/03/2018/1140/RG/DC/3

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मेरा भी आप सबसे आग्रह है कि संक्षिप्त उत्तर दें ताकि अगला प्रश्न आए। माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलिए।

शिक्षा मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने जो प्रश्न किया, उसका बिल्कुल सीधा और संक्षिप्त उत्तर दिया गया है।

16/03/2018/1145/MS/DC/1

प्रश्न संख्या: 130 क्रमागत---**शिक्षा मंत्री जारी**-----

उसके बाद माननीय सदस्य विनय कुमार जी अनुपूरक प्रश्न कर रहे हैं तो जब ये बाकी चीजें पूछ रहे हैं तो क्या उसमें हम जवाब नहीं देंगे? या तो हम सीधे कह दें कि ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। जब ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर भी उसी के अनुरूप दिया जाएगा। प्रश्न यह था कि संस्थान बन्द किए या नहीं किए, इसके बारे में था। हमने कहा कि नहीं किए। विक्रमादित्य जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम धन्यवाद करते हैं। हमने कहा कि संस्थान नॉर्म्ज के अनुसार होंगे तो खुले रहेंगे और नहीं होंगे तो खुले नहीं रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय कांग्रेस दल के जो नेता है उनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यह राजनीतिक प्रश्न है। जब सवाल का जवाब है कि हम नॉर्म्ज के अनुसार विद्यालय खोलेंगे तो उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने यह कहा कि वर्ष 2016 में इतने

स्कूल बन्द हुए थे और इतने मर्ज़ हुए थे तथा यदि आज भी जरूरत होगी तो इतने स्कूल और मर्ज़ हो सकते हैं। इसमें सीधा-सीधा सवाल का जवाब है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। -(व्यवधान)- अध्यक्ष जी, मेरा नाम लेकर स्पेसिफिकली ये कह रहे हैं। हमें तो कभी तकलीफ नहीं हुई कि मुकेश अग्निहोत्री जी मंत्री बने हैं या वे विधायक दल के नेता बने हैं। पता नहीं इनको क्यों इस बात की तकलीफ हो रही है और ये स्पेसिफिकली नाम ले रहे हैं कि ये क्यों शिक्षा मंत्री बन गए। अगर मैं मंत्री बना हूं तो मुझे जनता ने विधायक बनाकर भेजा है इन्होंने तो हमें विधायक बनाकर नहीं भेजा है। इसमें इनको क्यों तकलीफ है? जिस माननीय सदस्य का प्रश्न है वे इस विधान सभा में दूसरी बार चुनकर आए हैं। उनका सवाल है तो मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूं।

16/03/2018/1145/MS/DC/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत ही स्पेसिफिक था और मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक उस प्रश्न की परिधि में जो उत्तर बनता था, वह उत्तर दिया है। सप्लीमेंट्री जनरेट कर दी गई और उस प्रश्न के मूल भाव से उसका कोई लेना-देना नहीं था। मूल प्रश्न माननीय सदस्य विक्रमादित्य सिंह जी का था और उस प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक प्रकार से दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस सारे विषय को लेकर के हररोज़, हर वक्त जहां भी मौका मिलता है वहां पर शोर डालने की हमारे मित्र कोशिश कर रहे हैं। अगर कहीं गलत हुआ है तो उसको ठीक करना क्या गुनाह है? क्या उसको ठीक करना ही नहीं है? अध्यक्ष जी, मेरे पास सारी सूचनाएं हैं और अगर मैं उनका जिक्र करने लग जाऊं कि कितने संस्थान खोले गए और कितने बिना नॉर्म्ज के खोले गए यानी वित्त विभाग की कन्करेंस भी उसमें नहीं थी तो बात लम्बी चली जाएगी। केवल राजनीतिक मकसद से चुनाव के दिनों में वे संस्थान खोले गए। ऐसी चीजों पर क्या सोचने की आवश्यकता नहीं है? हमने खुले मन से उसके बावजूद भी कहा है कि हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे लेकिन जहां आवश्यक होगा, वहां उन संस्थानों को खोलेंगे और चलाएंगे। जिन स्कूलों में बच्चों की पर्याप्त संख्या नहीं है और नॉर्म्ज को कहीं दूर-दूर तक वह मीट-आउट नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में हमने पुनर्विचार करने के लिए कहा है। हमने संस्थान रद्द नहीं किए हैं। अगर हमारे पुनर्विचार करने पर भी आपत्ति है तो मुझे नहीं लगता कि ये वाजिब बात है।

16/03/2018/1145/MS/DC/3

प्रश्न संख्याः 131

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो फिना सिंह नहर का प्रोजैक्ट है यह लोअर कांगड़ा का बड़ा ही एम्बिशियस प्रौजेक्ट है और मिडियम इरीगेशन में अपने आप में यह बहुत बड़ा प्रौजेक्ट है। आपके उत्तर में आया है कि 206 करोड़ रुपया जिस प्रौजेक्ट के लिए स्वीकृत हुआ था उसमें से केवल 29 करोड़ रुपया पिछले तीन सालों में खर्च किया गया है। भारत सरकार की जो पहली 99 या 149 स्कीम्ज हैं, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्या उन मीडियम इरीगेशन स्कीम्ज में पिछली सरकार ने इनको डलवाया है या नहीं डलवाया? दूसरे, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रोजैक्ट की हमारी सरकार ने स्वीकृति दी थी और हमने शिलान्यास करके काम शुरू कर दिया था, पिछले तीन सालों में उस पर 29 करोड़ रुपया ही क्यों खर्च किया गया? अभी तक मंत्री जी इसकी डैम साइट का काम शुरू नहीं हुआ है और इसके रिजरवायर का काम भी नहीं लगा। केवल टनल के ऊपर ही पिछले पांच सालों से काम हो रहा है। क्या कारण है कि ये प्रोजैक्ट डिले किया गया?

16.03.2018/1150/जेके/एचके/1

प्रश्न संख्याः--131- जारी.....

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी, इस फिनासिंह मध्यम सिंचाई परियोजना की जो वस्तुस्थिति है, इस पर कुल लागत 204 करोड़ 51 लाख रूपए की है और जो एडमिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, वह 18.03.2011 को दी गई थी और इसका एस्टिमेट सेंक्शन है। इसका टनल का टेंडर 4.10.2012 को हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी इस परियोजना को AIBP के माध्यम से 2011 में भारत सरकार को भेजा गया था। उस वक्त कोई ऐसी कंडिशन नहीं थी कि इस परियोजना को पैसा न मिले। भारत सरकार की तरफ से फंडिंग होनी थी लेकिन हमने इस परियोजना का काम शुरू कर दिया था। परियोजना

का काम जैसे ही 2013 में शुरू किया उस समय भारत सरकार की गाइड लाइन बदल दी गई कि जितनी भी AIBP की स्कीमें हैं, जब तक उन प्रोजैक्ट्स में 50 प्रतिशत काम नहीं हो जाता, उस वक्त तक उनको भारत सरकार की तरफ से फंडिंग नहीं मिलेगी। प्रदेश सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाया। काम आगे चलता रहा, जैसे मैंने कहा कि गाइड लाइन 2013 में बदल दी गई कि 50 परसेंट काम होगा तभी जा करके भारत सरकार फंडिंग करेगी लेकिन 2015 में जितनी भी AIBP की स्कीमें थी पूरे भारतवर्ष के अन्दर उनमें सभी प्रदेशों से 149 स्कीमें चिन्हित की गई और उन 149 स्कीमों में से 99 स्कीमों को भारत सरकार ने अपनी अप्रूवल दे दी। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि वर्ष 2015 में क्या कारण रहे? मैं भी अपने विभाग को पूछ रहा था कि क्या कारण रहे? हिमाचल प्रदेश की उन 99 में या 149 में कोई भी स्कीम अपीयर नहीं हुई। कोई भी स्कीम अपीयर न होने की वज़ह से आदरणीय अध्यक्ष जी हमारा फिनासिंह प्रोजैक्ट जो 204-205 करोड़ का है, वह भी रह गया। हमारी जो AIBP की दूसरी स्कीम LIS नादौन की थी वह भी रह गई। हमारी तीसरी स्कीम जो सदयार खड्ड की थी वह भी रह गई। चौथी कौंसिल घेड़ा की थी वह भी रह गई और ज्वालामुखी और सुक्खाहार की जो स्कीम है वह भी रह गई। अभी जैसे ही सरकार बनी, मैंने उचित समझा कि मैं दिल्ली जा करके इन स्कीमों के बारे में या AIBP के बारे में पता करूं। आदरणीय नीतिन गडकरी जी को मैंने आदरणीय मुख्य मंत्री जी का पत्र दिया।

16.03.2018/1150/जेके/एचके/2

उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने निवेदन किया कि AIBP के अन्दर हिमाचल प्रदेश की कोई भी स्कीम न तो 99 में है और न ही 149 में है। उन्होंने कहा कि यह आपकी सरकार की कमी रही है, आपके विभाग की कमी रही है जो 2015 में इसको अपीयर नहीं करवा सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि मुझे दुख इस बात का है कि वर्ष 2015-16 में इस प्रोजैक्ट में एक नए पैसे का काम भी नहीं हुआ। वर्ष 2016-17 में इसमें केवलमात्र 12 करोड़ 24 लाख का काम हुआ। वर्ष 2017-18 में मैं, माननीय मुख्य मंत्री

जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इनके क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी गए थे, इन्होंने इस स्कीम के लिए पैसा देने की घोषणा की और 10 करोड़ का काम हम वर्ष 2017-18 में करने जा रहे हैं। इसके अलावा आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2011, 2012 और 2013 में इस परियोजना के ऊपर 64 करोड़ 41 लाख रूपए का काम किया गया।

16.03.2018/1155/SS-HK/1

प्रश्न संख्याः 131 क्रमागत

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री क्रमागतः

अब लगभग आधे से ज्यादा काम हो गया है और अब स्थिति ऐसी है कि इस स्कीम को पूरा करने के लिए भारत सरकार से जो फंडिंग आनी थी वह अब नहीं आयेगी। न तो इसके लिए और न ही नदौन के लिए आयेगी। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने 2018-19 के बजट में एक बहुत बड़ा प्रावधान 85 करोड़ का ऐसी विभिन्न स्कीमों के लिए किया है जिसमें कि हमारी ये दो स्कीमें भी हैं और इन दो स्कीमों के अलावा तीन-चार और स्कीमें भी हैं। जहां तक इंवैस्टमैंट क्लीयरेंस की बात है, वह तो तब चाहिए अगर भारत सरकार पैसा देती। जब प्रदेश सरकार ने काम करना है तो उसमें इंवैस्टमैंट क्लीयरैंस का कोई प्रश्न भी पैदा नहीं होता। फिर भी आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र जाने के उपरांत आदरणीय गडकरी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि जो 99 प्रोजैक्टस हैं, उनके जो सैक्रेटरी उस विभाग के हैं, यू0पी0 सिंह जी ने कहा है कि जो प्रोजैक्ट पूरे भारतवर्ष के अंदर कम्प्लीट हो जायेगा उसमें फिर हम हिमाचल प्रदेश के प्रोजैक्टस को अपीयर कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी स्कीम का काम बंद नहीं करेंगे। हम इस काम को चालू रखेंगे जैसे मुख्य मंत्री जी ने आदेश किये हुए हैं। इसके अलावा हम इसमें एक और भी प्रावधान करना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत जो हमारा कमांड एरिया है जहां इस पानी का उपयोग भूमि के लिए होना है उसके लिए हम प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एक डी0पी0आर0 बनाकर भेजना चाह रहे हैं, जिसमें लगभग 41 करोड़ 73 लाख रुपये की प्रोजैक्ट रिपोर्ट होगी। उसको हम दूसरी तरफ से भी कोशिश करते हैं ताकि कहीं-न-कहीं से पैसा आता

रहे ताकि जो हमारे बड़े-बड़े ड्रीम प्रोजैक्टस हैं जैसे आपका प्रोजैक्ट है और साथ में नदौन का प्रोजैक्ट है, साथ में तीन-चार और प्रोजैक्टस हैं, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि यह प्रोजैक्ट पूरा हो। इसमें जो हम प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर भेज रहे हैं इसमें सी0डब्ल्यू0सी0 डायरेक्टर जो शिमला बैठते हैं उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन लगाई हैं। विभाग उन ऑब्जर्वेशन्ज़ को क्लीयर कर रहा है। जैसे ही वे क्लीयर होंगी उसमें हम प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत भी इस कमांड एरिया डिवैल्पमैंट के लिए डी0पी0आर0 भेजेंगे। यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा।

16.03.2018/1155/SS-HK/2

प्रश्न संख्याः 132

श्री हीरा लालः माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना सभापटल पर है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में दो महीने के अंदर 200 डॉक्टरों की नियुक्तियां की हैं। परन्तु करसोग में 12 स्वीकृत पद हैं जिसमें से 7 खाली हैं और पांच डॉक्टर हैं। जिसमें एक बी0एम0ओ0 हैं जो मरीजों को देखते नहीं हैं। एक नाईट डयूटी पर डॉक्टर रहते हैं और एक डैंटल डॉक्टर है और एक कभी अवकाश पर चले जाते हैं। जबकि करसोग के अंदर 400-500 डॉक्टरों की ओ0पी0डी0 रहती है और डॉक्टर एक ही रहता है। अभी एक डॉक्टर की नियुक्ति के आदेश करसोग में हुए थे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि तुरन्त एक या दो डॉक्टर करसोग के लिए भेजें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहता हूं कि यह डॉक्टर की नियुक्ति का प्रश्न एक निरन्तर प्रक्रिया है। मैंने कमलेश कुमारी जी के प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि हर मंगलवार को हम डायरेक्टोरेट, हैल्थ सर्विसिज़ में वॉक-इन-इंटरव्यू करते हैं। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे इंटरव्यू होंगे उन्हें भरा जायेगा। खाली पदों को भरना एक सतत् प्रक्रिया है। यह हमारी प्राथमिकता है और यदि प्राथमिकता थी तभी तो दो महीनों में 200 एम0ओज़0 की एप्वाइंटमैंट हिमाचल प्रदेश में की गई है और

16.03.2018/1200/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्याः 132 जारी....

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी---

वैसे भी एक डॉक्टर की अप्वाइंटमैंट हमने 22 फरवरी, 2018 को की थी। इनकी उपस्थिति अपेक्षित है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में डॉक्टर्ज़ के जैसे-जैसे आवेदन आएंगें तो इन पदों को भरने का प्रयास करेंगें।

प्रश्नकाल समाप्त

16.03.2018/1200/केएस/वाईके/2

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

अध्यक्षः अब श्री राकेश पठानिया, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं :-

i. समिति का चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा आयुर्वेद विभाग से सम्बन्धित है;

ii. समिति का पंचम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है;

iii. समिति का षष्टम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है; और

iv. समिति का सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 104वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है।

16.03.2018/1200/केएस/वाईके/3

अध्यक्षः अब श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुख रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

i. समिति का सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 29वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

ii. समिति के प्रथम मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 11वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि जनजातीय विकास विभाग से सम्बन्धित है।

16.03.2018/1200/केएस/वाईके/4

अध्यक्षः अब श्री सुरेश कुमार कश्यप,सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री सुरेश कुमार कश्यपः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2017-18), समिति का द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन जोकि मांग संख्याः13 के अन्तर्गत सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2017-18), समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे ।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2017-18), समिति का द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा वन विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

16.03.2018/1200/केएस/वाईके/5

<u>वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए बजट अनुमान</u>:-

सामान्य चर्चा एवं समापन ।

अध्यक्षः वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा जो दिनांकः 12.03.2018 को प्रारम्भ हुई थी, इसमें कुल 47 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और यह चर्चा 16 घण्टे 49 मिनट तक चली। मैं माननीय सदन को थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि यह जो 16 घण्टे 49 मिनट चर्चा चली, अगर हम पिछले वर्षों की तुलना करें तो 2015 में 30 सदस्यों ने भाग लिया था और 12 घण्टे 44 मिनट चर्चा चली थी। 2016 में 45 सदस्यों ने भाग लिया और 19 घण्टे 5 मिनट चर्चा चली। 2017 में 39 सदस्यों ने भाग लिया और 16 घण्टे चर्चा चली। तो यह कहा जा सकता है कि अधिकतम संख्या वाली चर्चाओं के वर्ष में यह शामिल हुआ है। 47 माननीय सदस्यों ने अपने विचार इसमें प्रस्तुत किए। अब मैं माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी को इस चर्चा का उत्तर देने के लिए आमंत्रित करता हूं।

16.03.2018/1200/केएस/वाईके/6

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब की बार जो बजट प्रस्तुत हुआ, वह मेरे लिए पहला बजट था और उस बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, यह भी इतिहास में रहेगा,

16.3.2018/1205/av/yk/1

मुख्य मंत्री ------- जारी

आपने जिस प्रकार से जिक्र किया कि इस बजट की आम चर्चा में माननीय 47 सदस्यों ने भाग लिया। आपने तो इसका टोटल समय भी नोट किया है और आपके अनुसार यह चर्चा 16 घंटे 49 मिनट हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सारी चर्चा बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। इस मान्य सदन में जिस बजट को मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा

हूं, यह 21 वां बजट है। यानि कि यह 21 वां बजट है जिसका मैं इस मान्य सदन में चश्मदीद गवाह हूं। मैंने यह भी देखा है कि बजट पर चर्चा होते-होते कई बार ऐसा तल्खीभरा माहौल पैदा हो जाता था कि जो विषय चर्चा में आने जरूरी होते थे वह छूट जाते थे। लेकिन इस बार के लिए मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि छोटी-मोटी बातों को छोड़कर क्योंकि लोकतंत्र है और यह सारी स्वस्थ परम्परा का एक हिस्सा है। चर्चा के दौरान बीच में कहीं पर अगर कोई टिप्पणी आती है तो उसको स्वस्थ मन से लेना चाहिए और लिया भी गया। मगर उसके बावजूद भी इस पूरी चर्चा का समय एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बीता। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उनको धन्यवाद देता हूं। इस मान्य सदन में इस बार बहुत बड़ी तादाद में नये सदस्य चुनकर आए हैं जिनकी संख्या शायद 23 हैं। पक्ष और विपक्ष; दोनों तरफ से मिलाकर नये सदस्यों की संख्या 23 हैं। मुझे लगता है कि इतने सालों बाद इतने ज्यादा नये सदस्यों का इस मान्य सदन का हिस्सा बनना भी हमारे लिए अच्छी बात है जो कि पूरे सदन का 1/3 बनता है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि बहुत सारे सदस्य नये होने के बावजूद उन्होंने बड़े प्रभावशाली व तर्कों पर आधारित अपनी बात रखी है और एक स्वस्थ चर्चा को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है। इसलिए मैं इस मान्य सदन में नये चुनकर आए माननीय सदस्यों को भी बधाई देता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। इस मान्य सदन में बजट पर चर्चा के दौरान एक अच्छा अवसर होता है जहां हमारे माननीय सदस्य खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। अपने विधान सभा क्षेत्र से सम्बंधित नीति, सुझाव या अपने विज़न का थोड़ा जिक्र कर

16.3.2018/1205/av/yk/2

सकते हैं। उस दृष्टि से यहां पर अपनी बात रखने के लिए बजट पर आम चर्चा एक बहुत बड़ा अवसर होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस अवसर का सभी माननीय सदस्यों ने भरपूर उपयोग किया है। यह चर्चा आने वाले समय में निश्चित रूप से और भी सार्थक होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। यह बजट मेरे लिए पहला था और इस दृष्टि से यह मेरे

लिए नया काम था क्योंकि जीवन में मेरा हिसाब से ज्यादा वास्ता नहीं रहा है। मैं जब स्कूल/कालेज में पढ़ता था तो हिसाब से बड़ा फ़ासला रखता था लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि हिसाब फिर से पढ़ना पड़ेगा। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं कि जिसका सामना हम नहीं करना चाहते और जिनको हम छोड़ देते हैं उनसे वास्ता पड़ता है।

16.3.2018/1210/TCV/AG-1

माननीय मुख्य मंत्री.... जारी

लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय मुझे इस बात की खुशी है कि नया होने के बावजूद भी जो बजट हमने प्रस्तुत किया समाज के बहुत बड़े वर्ग ने उसको अच्छे बजट की संज्ञा देते हुए, अपनी बात की है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, हमारे लोकतंत्र का जो चौथा स्तम्भ है, जो हमारा मीडिया है, उन्होंने भी उस बजट को बहुत बारीकी से देखा, पूरी चीरफाड़ की लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सारी चीजों को लेकर कहा है कि ये बजट संतुलित हैं और अच्छा है। इस कारण से बहुत बड़ी पॉज़िटीव करवरेज़ इस बज़ट को सभी समाचार पत्रों और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में मिली है, उसके लिए मैं इन सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूं। मुझे उस तरफ (विपक्ष) के बहुत सारे सदस्य भी संतुष्ट दिखे। लेकिन एक परिस्थिति एवं मजबूरी है कि उस तरफ बैठने का अर्थ यह होता है कि ठीक होने के बावजूद भी ठीक नहीं है, ये कहना पड़ता है। मैं देख रहा था, वे इस दौर से गुज़र रहे थे। उनको लग रहा था ऐसी परिस्थितियों में जो किया जा सकता है, वह हुआ है। लेकिन अंत में बोलना पड़ता था कि ये बज़ट ठीक नहीं है। ये उनकी मजबूरी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिमायती होने की वज़ह से हम उनके भाव को समझ सकते हैं, भले ही वह अपनी भावनाओं को उस तरह से व्यक्त नहीं कर पायें होंगे। लेकिन उनकी भावनाओं को हमने समझ लिया। उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बजट की चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि बजट में केवल गायों का ध्यान रखा गया है। जबकि अन्य माननीय सदस्य इस बात से भी सहमत थे कि एक अच्छा प्रयास हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूं कि लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि जो गऊवंश सड़कों, चौराहों पर छोड़ दिया जाता है, उसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण के साथ सोचना चाहिए। लेकिन चर्चा करने के बाद हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैंने उसमें आगे बढ़ने की कुछ कोशिश की है। मैंने उसमें कुछ करने का प्रयत्न किया है।

16.3.2018/1210/TCV/AG-2

लेकिन यदि कुछ करना है, तो उसके लिए हमारे पास साधन कहां से आयेंगे? उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि यह ठीक नहीं है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने भी कहा है कि गोवंश विकास के लिए आपने जो सैस एक रुपये लगाया है, इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और इसको 2 रुपये करना चाहिए। मैं इस सुझाव के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा भी हमारी विकास की दृष्टि से बहुत सारी प्रक्रियायें हैं, वह जटिल है, जिनमें सरलीकरण की दृष्टि से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसमें विपक्ष के कई साथियों ने कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश में निवेश हो, हमारा सहयोग करने के लिए प्राइवेट सैक्टर से भी कोइ गुंजाईश हो, तो उनके लिए भी दरवाज़े खोलने चाहिए। निवेश की दृष्टि से थोड़ा खुलापन होना चाहिए। मैं इस सुझाव के लिए भी सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा कि बजट पर चर्चा करते-करते कई ऐसे दौर आये, जब विपक्ष की ओर से भी दबी आवाज़ में बजट की सराहना हुई है। इसमें बहुत-सारे सदस्यों ने सुझाव की दृष्टि से भी बातें कही है। मैं उनको सहजता और सकारात्मक दृष्टि से लेता हूं। मैं कोशिश करूंगा,

16-03-2018/1215/NS/ AG/1

मुख्य मंत्री महोदय ------जारी।

सब कुछ संभव तो नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे जिन साथियों ने इस चर्चा के दौरान भाग लेते हुए कुछ विषय उठाये हैं, मैं उनका जबाव देने की कोशिश कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष की और कांग्रेस विधायक दल के नेता, श्री मुकेश जी, श्री राम लाल ठाकुर जी, श्रीमती आशा कुमारी, कर्नल धनी राम शांडिल, श्री जगत सिंह नेगी जी, श्री सुखविन्द सिंह सुक्खु जी, श्री नन्द लाल जी, श्री पवन काज़ल जी और श्री राकेश सिंघा जी तथा श्री राजेन्द्र राणा, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी ने कुछ विषय उठाये हैं। इन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है कि बज़ट में कुछ नया नहीं है। इस बज़ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो नई हो। इसमें नयापन नहीं है। इन्होंने कहा कि जो भी योजनायें हैं, यह हमारे समय की चलाई हुई हैं और उन्हीं योजनाओं को यहां लाया गया है। कुछ लोगों ने बोतल का ज़िक्र किया है कि पुरानी बोतल में नया शराब। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बोतल के ज़िक्र में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात को ले करके हैरानी है कि हमारे मित्र ऐसा ज़िक्र कर रहे थे कि बज़ट में कोई नई योजना नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों ने या तो इस बज़ट को पढ़ा नहीं है या पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, पढ़ना एक विषय होता है और समझना दूसरा विषय होता है। लेकिन तय ही कर दिया है कि हमने पढ़ना है समझना नहीं है। उस दृष्टि से इस समस्या का कोई समाधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि हमने बज़ट प्रक्रिया में जन सहभागिता को सुनिश्चित किया है। ज़नता तथा सभी हितधारकों के सुझावों को हमने बज़ट में सम्मिलित कर नयापन देने की कोशिश की है। माननीय सदस्यों द्वारा यह कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि बज़ट में कुछ नया नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से मैं कुछ बातों का ज़िक्र करना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि

"नज़र का ईलाज़ तो संभव है लेकिन नज़रिये का नहीं।"

थोड़ा नज़रिया बदलिये। चश्मा लग गया है, ये अभी लगा है। लेकिन हमें नज़र का लगा है, हमारा नज़रिया ठीक है, इसके लिए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। वह बिना चश्मे की ही ठीक चल रहा है।

16-03-2018/1215/NS/ AG/2

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि युवाओं को उद्योग में स्वरोज़गार हेतु, "मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना" शुरू की गई है और इसमें 80 करोड़ रुपये का बज़ट प्रावधान किया गया है। क्या यह योजना आज से पहले थी? यह बिल्कुल नई योजना है। अध्यक्ष महोदय, अब हम आगे बढें। 18 से 35 वर्ष वर्ग के हिमाचली युवाओं को ट्रेड व सर्विसिज़ क्षेत्र में स्वरोज़गार हेतु "मुख्य मंत्री युवा आजीविका योजना"शुरू की गई है और इसके लिए लगभग 75 करोड़ रुपये का बज़ट प्रावधान किया गया है। क्या यह नई योजना नहीं है? आप ज़िक्र करें, यह योजना आज से पहले कहां थी? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि उपरोक्त योजनाओं या दोनों योजनाओं में हमने 25 से 30 प्रतिशत निवेश उपदान/सबसिडी का प्रावधान किया है। जोकि आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ है और ये विरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ करके यह भी कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश भर में एक नई योजना पूर्व में जब हमारी सरकार थी तब सभी जन प्रतिनिधियों/माननीय विधायकों की ओर से आग्रह आया था कि अनुसूचित जाति का एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे प्रदेश में है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि वहां पर एक कम्युनिटी सैंटर होना चाहिए और इस सैंटर में गांव के लोग मिल करके सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे विवाह या शादी और

16.03.2018/1220/RKS/DC-1

माननीय मुख्य मंत्री.. जारी

उसके अलावा अन्य कोई कार्यक्रम है, उन सामुदायिक कार्यक्रमों को करने के लिए एक स्थान होना चाहिए। उस समय आदरणीय धूमल जी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने एक योजना शुरू की और इस योजना को अनुसूचित जाति की बस्तियों के नज़दीक, जहां घनी आबादी है, डॉ0 अम्बेदकर के नाम पर भवन तैयार कर 'डॉ0 अम्बेडकर भवन' योजना चलाई। इस योजना में 10 लाख रुपये का प्रावधान कर हर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में डॉ0 अम्बेदकर भवन बनाने का काम शुरू किया गया। जब लोगों ने इसकी उपयोगिता देखी, इस योजना से गांव को बहुत लाभ हुआ और यह एक अच्छी योजना है। यह योजना आगे बढ़नी चाहिए। यह योजना अनुसूचित जाति के अलावा, दूसरे जनरल पब्लिक के लोगों के

लिए, जहां सभी समुदायों के लोग आ-जा सकते हैं, वहां पर भी इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए। हमने इस क्षेत्र में आगे बढ़कर एक नई योजना 'मुख्य मंत्री लोक भवन योजना' शुरू की, जिसके लिए 30 लाख रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया है। क्या यह नई योजना नहीं है? इस योजना के अंतर्गत हमने खुलापन रखा है। अगर विधायक इसमें अपनी निधि से योगदान करना चाहते हैं तो इस योजना को और भी बड़ा बनाया जा सकता है। इसके लिए हम पूरे प्रदेश में एक डिजाइन बनाकर देंगे और वही डिजाइन मान्य होगा। यदि आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में एक से ज्यादा भवन बनाने की आवश्यकता है तो इसके लिए 15 लाख रुपये का योगदान विधायक अपनी निधि से दें और उसमें 15 लाख रुपये सरकार देगी। अगर सांसद भी सांसद निधि के माध्यम से इसमें योगदान करना चाहते हैं तो उसमें भी हम सहयोग करेंगे। उसके लिए भी हमने खुला मन रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मित्र कहते हैं कि नया कुछ भी नहीं किया गया।

हमने एक नई योजना 'हिमाचल गृहणी योजना' शुरू की। 'हिमाचल गृहणी योजना' के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सभी घरों को एल.पी.जी. देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसमें वैसे तो 'उज्ज्वला योजना' के अंतर्गत बहुत बड़ा

16.03.2018/1220/RKS/DC-2

सैक्शन कवर हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी जो कवर नहीं हुए हैं, उन्हें इस योजना के द्वारा कवर किया जाएगा। हमारी इच्छा है कि हिमाचल प्रदेश के गांव में जो हमारी माताएं-बहनें, हमें हर रोज खाना बनाकर देती हैं, उनके दिन का बहुत बड़ा समय धुएं में गुजरता है। चूल्हे के पास भोजन पकाने के समय, जिसका हम आनंद लेकर सेवन करते हैं, उसमें उनका समय गुजरता है। उस धुएं के कारण उनके स्वास्थ्य पर कितना प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है, क्या यह हमारा सोचने का विषय नहीं बनता है? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जब चूल्हा जलाना है तो उसके लिए लकड़ी जंगल से लानी पड़ती है। जब जंगल से लकड़ी लानी पड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से जंगल कटेंगे। इससे प्रकृति को नुकसान होगा। यह प्रकृति को बचाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योजना है। जो हमारी माताएं-बहनें हमें अच्छा

भोजन पकाकर देती हैं, जिस भोजन का हम सब लोग आनंद लेते हैं, उनके लिए धुआं मुक्त चूल्हे की सुविधा मिलनी चाहिए। उस दृष्टि से 'हिमाचल गृहणी योजना' के अंतर्गत हम पूरे प्रदेश के हर गांव, हर घर तक गैस पहुंचाने का प्रावधान कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आप इस योजना को नया नहीं मान रहे हैं।

'जल से कृषि को बल' हमारी एक नई योजना है। पहले भी इन सारी बातों को लेकर चर्चा होती थी। लेकिन इस नई योजना को शुरू करने के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार ने चैक डैम बनाने के लिए पहली बार यह योजना बनाई है। ठीक है, आप चैक डैम और सॉयल कंजर्वेशन के लिए कहते थे लेकिन वे दूसरे हैड से होता था। उसमें फोक्स नहीं होता था। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जिक्र कर रहे हैं। हमारे पास संसाधन नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसके लिए 250 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महादेय, 'Flow Irrigation Scheme का हमने जिक्र किया और इसके अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 150 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

15.03.2018/1225/बी0एस0/एच0के0-1

मुख्य मंत्री .....जारी

अध्यक्ष महोदय, यह भी राज्य सरकार की नई योजना है। उसके बाद सौर सिंचाई योजना का भी हमने जिक्र किया। इसके अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये खर्च करने का हमने उसमें प्रावधान रखा और यह योजना भी अध्यक्ष महोदय, नई योजना है। आज से पहले सौर उर्जा के माध्यम से सिंचाई योजना का कहीं भी जिक्र नहीं है।

उसके बाद आगे बढ़ें, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान 25 करोड़ रुपये के बजट के प्रावधान के साथ हमने इसकी घोषणा की है और उसके साथ- साथ में यह योजना कृषि में कम लागत तथा प्रदेश को जैविक राज्य बनाने की दिशा में बहुत मदद मिलेगी, इस उद्देश्य से यह योजना हमने शुरू की है। आगे बढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय, हमने एक और योजना कृषि

उपकरण सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए मशीनरी पर 40 प्रतिशत उपदान प्रदान करेंगे, जो हम मशीनरी लेते हैं, औजार लेते हैं, उसमें आज से पहले इस प्रकार से इस तरह का प्रावधान नहीं हुआ करता था और इस योजना के अन्तर्गत भी अध्यक्ष महोदय, हमारे किसान हैं, बागवान हैं उनको एक मदद देने की कोशिश की है। हमार फोकस अध्यक्ष महोदय, जो 90 प्रतिशत आबादी जो गांव में रहती है और जिनका मूल कार्य कृषि है या बागवानी है और आबादी 90 प्रतिशत का हिस्सा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है हमारा फोकस इस दृष्टि से है कि वहां पर उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं, अपने काम-काज से उनकी आय बढ़े, आय बढ़ने के साथ-साथ उनके परिवार का पालन-पोषण उनका जीवन स्तर बढ़े उस दृष्टि से हमने इस सारी छोटी-छोटी योजनाओं की पहल की है। हम इस बात से सहमत है कि एक वर्ष में ही सारा परिर्वतन नहीं होगा, यह सम्भव नहीं है। लेकिन उस दिशा में एक कदम उठाने की बात थी, वह कदम हमने उठाने की कोशिश की है।

उसके बाद बागवानी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एन्टी हेल गन लगाने के लिए 60 प्रतिशत उपदान प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इससे फलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए एक कदम उस

15.03.2018/1225/बी0एस0/एच0के0-2

दिशा में उठाने की कोशश की है। हम मानते हैं कि एन्टी हेल गन हमने पहले भी लगाई थी लेकिन हमने इस योजना को अलग तरह से लाए हैं और अलग तरह से प्रस्तुत किया है, अध्यक्ष महोदय इसकी मांग भी है । हम मैं से कुछ लोगों ने इसका जिक्र भी किया कि इसका लाभ नहीं है। लेकिन में देख रहा हूं की बहुत जगहों से इसकी मांग भी आई है।

अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ते हैं, एक नई योजना जो हमने शुरू की हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, जब हम बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां जाते है वहां पॉली हाऊस लगाए हैं, परिवार के लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठ करके पांच बजे जा करके फूलों को इक्ट्ठा करते हैं और उसके बाद बसों में डाल करके मार्केटिंग करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी और से उनको प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कोई योजना नहीं

थी। अध्यक्ष महोदय, हमने उस दिशा में कदम उठाया है, फिर भी हमारे साथी बोलते हैं की यह योजना कोई नई योजना नहीं है।

सरकारी प्रसंगों को दुग्ध एकत्रिकरण एवं वितरण की प्रतिपूर्ति हेतु एक रुपये प्रति लीटर की दर से भाड़ा उपदान की धोषणा, यह भी एक नई योजना हमने शुरू की है, आज से पहले इस तरह का कोई प्रावधान बजट में नहीं होता था। इस दिशा में अध्यक्ष माहोदय श्वेत क्रांति लाने तथा दुग्ध सरकारी संघों को सशक्त बनाने के लिए सहायता मिल रही है। अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ें, डेरी उद्यमि विकास योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त 10 व 20 प्रतिशत उपदान प्रदान करने की नई योजना। क्या इससे स्वरोजगार प्रोत्साहन तथा किसानों के ऋण में कमी नहीं आएगी ? अध्यक्ष महोदय, नई योजना है पर एक प्रयास उस दिशा में हमने किया है। उसके बाद आगे बढ़ करके जो अच्छी नस्ल की दुधारू देशी गाय के लिए पशु आहार पर सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के लिए भी 50 प्रतिश की नई योजना यानि 50 प्रतिशत गाय के चारे के लिए भी हमने बात की है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री मधु योजना, इसके अन्तर्गत 80 प्रतिशत उपदान देने के लिए हमने 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह भी नई योजना है।

16.3.2018.1230/DT/AG/HK -1

माननीय मुख्य मंत्री... जारी

और आप कहते हैं कि कुछ भी नया नहीं है। 'फिश फीड इकाई की स्थापना के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर छूट तथा यन्त्र मशीनों पर 50 प्रतिशत निवेश उपदान'। यह भी एक नई योजना है।

हमने पंचायत में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के माध्यम से "ग्राम गौरव पट्ट" नई योजना शुरू की। इसका उद्देश्य यह है कि गांव का इतिहास भी कहीं-न-कहीं किसी आदमी की नज़र में आना चाहिए। किसी गांव के आदमी ने अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर अपनी कुर्वानी दी है, शहीद हो गया है, यदि उसका नाम उस गौरव पट्ट" पर लग जाए तो उस में क्या बुराई है? उसके प्रति एक सम्मान का भाव रहेगा। अगर हमारे उस गांव से कोई अच्छा खिलाड़ी है,उस पंचायत से कोई ऐसा व्यक्ति है जिस ने देश,

प्रदेश में नाम रोशन किया है तो उसका नाम इस पट्टीका में लगना चाहिए। जिसने समाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, उसकी पहचान बनी रहे उस दृष्टि से उसका नाम इस गौरव पट्ट पर लगना चाहिए। इन सारी चीजों के लिए उस गांव के इतिहास की धरोहर, सस्कृति, देव स्थल जिसका हम जिक्र कर सके, ऐसी बहुत सारी चीजे हैं। मुझे लगता है कि गांव में एक जगह वह गौरव पट्ट लगाने का प्रयत्न किया है। आप विधायक बन कर आते हैं तो उस गांव में यह गौरव पट्ट पर लिखा जाए ताकि हमारी यादगार का हिस्सा हमेशा बना रहे। उस दिशा में यह कदम उठाया गया है। फिर भी हमारे मित्र बोलते हैं कि नया कुछ नहीं है। हमने वन समृद्वि जन समृद्वि एक नई योजना लाई है। इससे वनों से जड़ी- बूटी इत्यादि इक्ट्ठा करने से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। मुझे लगता है कि इस नई योजना के अन्तर्गत हमने इस काम को करने की कोशिश की है। सामुदायिक वन संवर्धन योजना, एक कॉम्यूनिटी को बचाने की दृष्टि से ,जंगल को बचाने की दृष्टि से, उस संवर्धन

16.3.2018.1230/DT/AG/HK -2

की दृष्टि से, पर्यावरण का हम संरक्षण कर सके, उस दृष्टि से एक योजना लाई गई। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि जितनी भी योजनाएं हमने चलाई हैं, वे सब नई योजनाएं हैं। लेकिन कोई ऐसी योजना जिसका हमने नामकरण किया हो और उस योजना के लिए बजट का प्रावधान न हो, ऐसा हमने नहीं किया है। हमने जो योजना शुरू की है, उसके लिए जितना बजट दिया जा सकता था, हमने अपनी परिस्थितियों के मुताबिक इस बजट में प्रावधान करने की कोशिश की है । उसके बाद विद्यार्थी वन मित्र योजना, कम्प्रहैंसिव ड्राइव चलाना चाहते हैं। जो हमारी नई पीढ़ी है वह वनों का महत्व समझ सकें। वनों का महत्व समाज के लिए कितना है, देश और दुनिया के लिए कितना है। उन सारी चीजों के लिए इस योजना में हमने कोशिश की। युवा विज्ञान पुरस्कार और उसमें युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नई शुरूआत की। नई श्रेष्ठ शहर योजना, इसके अन्तर्गत पुरस्कार देने की कोशिश की यानी की हमने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान करने की कोशिश की। उस योजना के अन्तर्गत हमें लगता है कि एक प्रतिस्पर्धा का माहौल

खड़ा होगा। अध्यक्ष महोदय, एक और नई योजना हमने शुरू की "नई राहें, नई मंजिले" मुझे लगता है कि ये बातें मुझे कहनी पड़ेगी, ...(व्यवधान)..... मैं उस बात का जिक्र कर रहा हूं। बजट भाषण तो मेरे पास भी पड़ा हुआ है। कृपया अभी मुझे पूरा करने दीजिए।

16.03.2018/1235/SLS-HK-1

माननीय मुख्य मंत्री...जारी

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से बहुत संभावनाएं हैं। हम पर्यटन के बारे में बहुत बातें करते थे, उसके बावजूद जब हम पर्यटन में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट का प्रावधान देखते थे तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं था। अध्यक्ष महोदय, हमने उसके लिए पहली बार 50.00 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसमें हमारी कोशिश है कि जो नई डैस्टिनेशन्ज हैं, वर्जिन डैस्टिनेशन्ज हैं, उनको लिया जाएगा। ठीक है कि शिमला, मनाली, डलहौजी या धर्मशाला आदि पर्यटन स्थल अपनी जगह हैं जो कि पर्यटन की दृष्टि से स्थापित स्थल हैं और टूरिज्म डैस्टिनेशन के नाते पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी ऐसी बहुत-सी डैस्टिनेशन्ज हैं और वह भी उतनी ही सुंदर और सुरम्य हैं, लेकिन उनको डवलप करने की दृष्टि से हम प्रयत्न नहीं कर पाए हैं। इस बात को लेकर उस दिशा में यह हमारा कदम है उस तरफ है जहां हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं। इसलिए नई 'राहें नई मंजिलें' योजना लाई गई है।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग प्लीज शांत रहें। श्री राम लाल ठाकुर जी, कृपया बैठ जाएं।...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : मुझे मालूम है कि आप क्या कहना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बातें कही हैं लेकिन अब अच्छी तरह से सुन भी लीजिए। जो बातें हम कह रहे हैं वह खराब नहीं हैं बल्कि वह भी सारी-की-सारी उपयोगी हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर 17 घंटे चर्चा हुई है, आपको उसका जवाब देना चाहिए। मुख्य मंत्री जी उस चर्चा को रिकॉर्ड में नहीं ले रहे हैं।

मुख्य मंत्री : वह सारा कुछ इसमें आगे आ रहा है।...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, आपने यह आशंका व्यक्त की है। ...(व्यवधान)...

16.03.2018/1235/SLS-HK-2

अध्यक्ष : मेरा सभी सदस्यों से यह कहना है कि मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं। आपको अपनी चर्चा का उत्तर मिलेगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने अगली योजना शुरू की 'मुख्य मंत्री विद्या केंद्र'। कुछ सदस्यों ने कहा कि हमने तो पहले ही आदर्श विद्यालय खोल दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, दोनों में बहुत अंतर है। आदर्श विद्यालय एक अलग योजना थी जबकि इस योजना के अंतर्गत हमने एक नया कंसैप्ट देने की कोशिश की है। वह कंसैप्ट क्या है. यहां स्कूल खोलने का ज़िक्र आ रहा था और हम नए-नए स्कूल खोले जा रहे हैं। स्कूल पर फट्टा तो लगा है लेकिन अध्यापक नहीं हैं। बच्चे से हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े और इस देश-प्रदेश का नाम रौशन करे। अध्यक्ष महोदय, वह संभव नहीं है। हमने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है। हमने यह केवल 10 स्थानों के लिए कहा है। यह केवल शुरुआत है। अध्यक्ष महोदय, हम 10 स्थानों पर आवासीय विद्यालय खोलेंगे जिसके लिए हमने 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जहां पर बच्चे रहेंगे और वहां उनकी पढ़ाई की पूरी चिंता की जाएगी। यह हमने उस दृष्टि से किया है। अध्यक्ष महोदय, यह क्वालिटी एजुकेशन की ओर एक कदम है। उसमें यह बात भी होगी कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कंपलीट होगा और पूरी आधुनिक सुविधाओं के साथ उस स्कूल का संचालन किया जाएगा। इन स्कूलों की कंपलीट स्टाफिंग होगी यानी जितने भी पद सृजित होंगे, उनमें से एक भी पद खाली नहीं रहेगा। उसमें हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन स्कूलों में ट्रांसफर पॉलिसी के लिए भी अलग से प्रावधान करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने यहां से बदल दिया; यह एक रूटीन

के स्कूल की तरह नहीं होगा बल्कि उससे हटकर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर इसमें हमें सभी का सहयोग मिला तो मुझे पूरा भरोसा है कि यह स्कीम पूरी तरह से सफल होगी और आगे जाकर हम इस तरह के विद्यालय सभी विधान सभा क्षेत्रों में और बड़ी तादाद में खोलेंगे।

16.03.2018/1235/SLS-HK-3

अध्यक्ष महोदय, हमारे जो बहुत सारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनमें बहुत क्षमता है, योग्यता है लेकिन साधनों और सुविधाओं की कमी के कारण वह कोचिंग नहीं ले पाते। आज के इस दौर में, इस कंपीटिटिव ज़माने में, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होने के बावजूद भी अगर उसको वांछित कोचिंग नहीं मिलती है कि उसको प्रश्न पत्र किस प्रकार से अटैंप्ट करना है, उसे टाईम के भीतर कैसे कवर करना है, टाईम मैनेजमैंट क्या है, तो वह आगे नहीं बढ़ेगा। आज से पहले उन बच्चों के लिए कोई कोचिंग सुविधा पूर्व की सरकारों के समय में नहीं थी।

16/03/2018/1240/RG/YK/1

मुख्य मंत्री ------**जारी**

इसलिए अब हिमाचल प्रदेश में 'मेधा प्रोत्साहन योजना' के अन्तर्गत उन बच्चों को कोचिंग के लिए सरकार मदद करेगी ताकि गरीब बच्चों का भविष्य सुधर सके। हमने यह प्रयत्न किया है।

अध्यक्ष महोदय, देखिए वरिष्ठ हम सब लोगों को होना है और वरिष्ठ नागरिक हम सभी को होना है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आप तो टायर्ड एवं रिटायर्ड लोगों को हटाने की बात करते हैं।

मुख्य मंत्री : वह तो एक अलग बात है। इसके अन्तर्गत हमने 'देव भूमि दर्शन' का भी एक नया कॉन्सैप्ट शुरू किया है। एक उम्र के बाद मन करता है कि अब दुनियादारी बहुत हो

गई। अब अच्छे और धार्मिक कार्यों में मन लगाएं, धार्मिक स्थानों में जाएं और धार्मिक कार्यों के लिए हम काम करें। इसलिए हमने एक नई 'देव भूमि दर्शन योजना' शुरू की है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एक 'स्वास्थ्य में सहभागिता योजना' है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने बजट में किसी प्रकार की कोई कॉपी नहीं है और यह बिल्कुल नया बजट बनाया है।---(व्यवधान)---

अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : इन सब चीजों की घोषणा बजट में हो चुकी है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दो योजनाएं और हैं। मैं वहीं आऊंगा जो आप लोगों ने प्रश्न खड़े किए हैं। आपने कहा कि विज़न नहीं है, इस बजट में नयापन कुछ नहीं है। इसलिए हम यहां बता रहे हैं इसमें नयापन क्या है।---(व्यवधान)----बस अब यह पूरा हो रहा है, इसके बाद जो आपने प्रश्न किए हैं, मैं उनका उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार एक और योजना 'मुख्य मंत्री आशीर्वाद योजना' है। मुझे लगता है कि इनको कॉन्सैप्ट में क्लीयरिटी नहीं आ पाई। इन्होंने बजट बुक का पेज इधर-उधर पलटा, उसके बाद कुछ नहीं किया। क्या आप लोगों ने इन योजनाओं के भाव में जाने

की कभी कोशिश की? इसलिए मैं आपको इन योजनाओं के भाव में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। 'मुख्य मंत्री आशीर्वाद योजना' के अन्तर्गत क्या है कि हमारे प्रदेश में अभी तक भी इन्स्टीटियुशनल डिलीवरीज़ नहीं हो पा रही हैं। घरों में डिलीवरी होती हैं जिससे बच्चे को इनफैक्शन हो जाता है, उसको बीमारियां हो जाती हैं और उसको अस्पताल लाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त महिला को भी कई तरह के इनफैक्शन्ज़ हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन्स्टीटियुशनल डिलिवरी को प्रमोट करने के लिए हमने एक नई 'मुख्य मंत्री आशीर्वाद योजना' शुरू की है। मुझे लगता है कि शायद यह किसी एकाध प्रदेश में ही होगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश इसमें बहुत अग्रणी प्रदेश है। हमने कहा है कि यदि डिलिवरी के लिए इन्स्टीटियुशन में आएंगे, तो 1500/-रुपये की एक 'नव आगन्तुक' किट दी जाएगी।

चाहे बेटा हो या बेटी। जब बच्चा पैदा होगा, तो उसको किट दी जाएगी जिसमें उसके कपड़े से लेकर, नैपकिन इत्यादि होंगी जो गरीब आदमी अफौर्ड नहीं कर सकता है। इस प्रकार से ये सारी चीजें उनको उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि जो इन्स्टीटियुशन में आएं, उनको मदद मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, एक और योजना 'मुख्य मंत्री चिकित्सा सहायता कोष' है। यह हमने अलग से किया है। ठीक है कि आप लोगों ने कहा कि मुख्य मंत्री राहत कोष होता है। अध्यक्ष महोदय, आज के समय में बीमारियों के इलाज के लिए जितने पैसों की आवश्यकता पड़ रही है, उसमें मुश्किल होता है। हम सुबह उठते हैं, तो काफी मिलने वाले होते हैं जो अपने परिजन के लिए, उसकी बीमारी के इलाज के लिए मदद मांगने आते हैं। आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी यहां बैठे हैं, इनको पता है कि ऐसे लोग होते हैं कि मन करता है कि इनकी अभी इसी समय मदद करनी है। अस्पताल में उनका मरीज़ भर्ती है, लेकिन इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। उसकी तुरन्त मदद की आवश्यकता है और कई बार मुख्य मंत्री राहत कोष की प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है और उसमें औपचारिकताएं पूर्ण करते-करते काफी समय लग जाता है। तो मदद करने की दृष्टि से हमने यह एक कोशिश की है और इसमें हमने 10 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके अन्तर्गत गंभीर और चिन्हित बीमारियां आएंगी। हम एक सूची तय करेंगे और उसके लिए हम उस पैसा का इस्तेमाल करेंगे।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : इसको भी मुख्य मंत्री राहत कोष में ही ले लें।

16/03/2018/1240/RG/YK/3

मुख्य मंत्री : नहीं वह तो अलग है। मुख्य मंत्री राहत कोष तो हम गैर-सरकारी संस्थाओं से भी लेते हैं या दूसरी जगह से भी पैसा आता है, निजी संस्थाएं देती हैं, वह अलग से है, लेकिन उससे पूरा नहीं होता। आपके पड़ौस में बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि कितनी आवश्यकता रहती है।

16/03/2018/1245/MS/YK/1

मुख्य मंत्री जारी--------

उसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट से संबंधित एक नई स्कीम "हिमाचल प्रदेश रोड इम्प्रूवमैंट" को भी हमने शुरू किया और उसके अंतर्गत मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारी सड़कें अच्छी हों, उसके लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान पहले और वर्ष 2018-19 के लिए भी 100 करोड़ रुपये की ही धनराशि का बजट प्रावधान किया है।

अध्यक्ष जी, हमने एक "पुस्तक दान दिवस" मनाने की घोषणा भी की है। ऐसे गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वे किताबें खरीदने की स्थिति में नहीं हैं उनके लिए यह उपयोगी होगा। अध्यक्ष जी, मैं अपने जीवन के बारे में भी यहां बात करना चाहता हूं। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे परिवार की स्थिति भी ऐसी थी कि जब मुझे अगली कक्षा में जाना होता था तो गांव में जिसके बच्चे उस कक्षा को पढ़ चुके होते थे उनसे किताबें लेकर के हमने पढ़ी हैं। यह एक भाव है और उस दिशा से हमने यह करने की कोशिश की है। जो बच्चे उस कक्षा को पढ़ चुके होते हैं उनके लिए उस कक्षा की किताबें उपयोगी नहीं होंगी लेकिन जिस बच्चे ने उस कक्षा में अब पढ़ने के लिए जाना है उसके पास यदि किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो उसके लिए वे पुरानी किताबें उपयोगी होंगी। हमने कहा कि उन किताबों को उन्हीं स्कूलों में, जिस दिन स्कूल में परीक्षाओं के बाद का अंतिम वर्किंग-डे होगा, जमा किया जाए और जरूरतमन्द बच्चों को वे किताबें उपलब्ध करवाई जाएं। यह एक भाव है और इसमें जाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आज की परिस्थिति में इनका बड़ा महत्व नहीं होगा। -(व्यवधान)- नेगी जी, शायद आप उस दौर में से नहीं गुजरे हैं लेकिन इस प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं। -(व्यवधान)- अध्यक्ष महोदय, हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि-

चलो जलाएं दीप वहां, जहां अभी भी अंधेरा है।

16/03/2018/1245/MS/YK/2

तो हम उस दिशा में जाने की बात कर रहे हैं। -(व्यवधान)- अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य मुकेश अग्निहोत्री जी, कर्नल धनी राम शांडिल जी, नन्द लाल जी और राम लाल ठाकुर जी ने कुछ और मुद्दों का भी जिक्र किया है। इन्होंने कहा कि बजट में प्रस्तावित सभी योजनाएं पुरानी हैं केवल उनके नाम में परिवर्तन किया गया है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। मैंने इन सब योजनाओं के बारे में जिक्र यहां कर दिया है।

अध्यक्ष जी, मुकेश अग्निहोत्री जी, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी और विक्रमादित्य सिंह जी ने आदर्श विद्यालय का जो जिक्र किया था, उसके बारे में विस्तृत रूप से मैंने बता दिया है। यह नई योजना है और इन दोनों विद्यालयों में जो अंतर है वह भी मैंने आपको समझा दिया है और मुझे लगता है कि यह बात आपको ध्यान में रहेगी।

अध्यक्ष जी, मुकेश जी, राकेश सिंघा जी, नन्द लाल जी, होश्यार सिंह जी, हर्षवर्धन जी और श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने रिसोर्स मोबेलाइजेशन के बारे में यहां जिक्र किया। यह बात बार-बार जिन मित्रों ने यहां उठाई, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को अपना दौर याद नहीं रहता है? -(व्यवधान)- अध्यक्ष जी, कुछ बातों से दिमाग को रिफ्रेश करना चाहिए। पुरानी कुछ यादें कई बार बहुत अच्छी होती हैं और कुछ खराब भी होती हैं। अध्यक्ष जी, पिछली सरकार के कार्यकाल में 26 अगस्त, 2014 को चार सदस्य की एक केबिनेट सब-कमेटी रिसोर्स मोबेलाइजेशन एण्ड इकॉनोमिक मैयर्ज पर सुझाव देने की दृष्टि से गठित की गई थी। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी जिन्होंने यह मुद्दा उठाया था, वे इस समिति के सदस्य थे और उसके साथ-साथ इस केबिनेट सब-कमेटी की पांच बैठकें हुईं तथा कमेटी ने अपनी संस्तुति 26 फरवरी, 2015 को दी है।

16.03.2018/1250/जेके/एजी/1

मुख्य मंत्रीः--------जारी--------

अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कि इस केबिनैट सब कमेटी की रिपोर्ट को कभी भी केबिनैट के समक्ष नहीं रखा गया और न ही इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई हुई। आपकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कमिटमैंट थी, जिसका आप बहुत ज्यादा जिक्र करते थे। अध्यक्ष महोदय, आगे अगर हम देखें इस केबिनैट सब कमेटी के अतिरिक्त राज्य सरकार ने श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जो यहां पर दिख नहीं रहे हैं, वे इस माननीय सदन के सदस्य है। ...(व्यवधान)... मुकेश जी सुन लीजिए। मुकेश जी हम उसमें नहीं चलेंगे। हम कैसे चलेंगे वह हम आपको बता देते है। मुकेश जी मैं आपको बता रहा हूं और वहीं आ रहा हूं। 19 मई, 2014 को इम्पलॉयमैंट जैनरेशन एण्ड रिसोर्स मोबिलाइजेशन की राज्य स्तरीय कमेटी का श्री हर्षवर्धन जी को अध्यक्ष बनाया गया, उनको अध्यक्ष तो बनाया गया लेकिन कमेटी के कोई भी सदस्य नहीं बनाए गए। श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने साढ़े तीन वर्ष की अवधि की अध्यक्षता के बाद 12 अक्तूबर, 2017 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत की। अध्यक्ष महोदय, आप यह तारीख देखें कि 12 अक्तूबर, 2017 वह दिन था जिस दिन हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घोषणा हुई। इससे पता चलता है कि रिसोर्स जैनरेशन की दृष्टि से आपने क्या किया? जहां तक वर्तमान सरकार की बात करें, हमने कहा कि हमारी सरकार फोरैस्ट माइनिंग तथा हाइड्रो पॉवर जैनरेशन से आय बढ़ाने के प्रति कृतसंकल्प है। हम उसमें बेहतर ढंग से और भी रिसोर्सिज़ कैसे जैनरेट कर सकते हैं, उस दिशा में हम सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं बजट में बकाया करों की वसूली तथा निवेश सम्वर्द्धन पर विशेष बल दिया गया है। बकाया करों की वसूली के लिए तथा हिमाचल प्रदेश "The Himachal Pradesh Settlement of Pending Assessment Cases Bill, 2018" में लाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि निवेश सम्वर्द्धन के लिए नियमों का सरलीकरण, हिम प्रगति का शुभारम्भ, सीमेंट उद्योगों की स्थापना हेतु निविदाएं आमंत्रित करना इत्यादि बहुत सारे ऐसे कदम है जो हमारे विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय, हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। हमारे मित्रों को आज जल्दी क्यों लग रही है? आप लोग बैठें, हमने आप लोगों को बड़ी शालीनता से सुना है और कई वर्षों तक सुना है । श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने, श्री सतपाल रायज़ादा, श्री रामलाल ठाकुर, श्रीमती आशा

16.03.2018/1250/जेके/एजी/2

कुमारी, श्री राकेश सिंघा जी, कर्नल धनीराम शांडिल जी, श्री आशीष बुटेल जी और श्री प्रकाश राणा जी ने एक बात कही कि वर्तमान सरकार को भी ऋण लेना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन वस्तुस्थित मुझे लगता है कि सबको समझ आ गई होगी और अब समझाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने वर्ष 2013 से 2017 तक 18 हजार 787 करोड़ रूपए का अतिरिक्त ऋण लिया जिसके कारण, ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मैं उसी में आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक बात नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्लीज सुन तो लो। मैं अपना भी बता रहा हूं। आपका भी बता रहा हूं। ...(व्यवधान)... मुकेश अग्निहोत्री जी आप बैठें, मैं बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, आधे से ज्यादा समय तो मुकेश अग्निहोत्री जी ले रहे हैं। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि 18 हजार 787 करोड़ रूपए का अतिरिक्त ऋण लिया, जिसके कारण 18 दिसम्बर, 2017 को प्रदेश पर 46 हजार 385 करोड़ रूपए का ऋण का भार हो गया। इतने बड़े ऋण के कारण केवल 2018-19 में प्रदेश सरकार को 4, 260/- करोड़ रूपए ब्याज अदायगी तथा 3,184/-करोड़ रूपए ऋण अदायगी के रूप में चुकाने होंगे। अतः 7,444/-करोड़ रूपए का ऋण तो हमें आपकी नीतियों की वज़ह से, जिनको मैं गलत नीतियां बोलूं, उन नीतियों की वज़ह से हमको यह करना पड़ा।

16.03.2018/1255/SS-AG/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

अध्यक्ष जी, मुकेश जी का यह आरोप था कि वर्तमान सरकार ने 2200 करोड़ रुपये का ऋण लिया। अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, आपको कहने का अधिकार है लेकिन अब आप (श्री मुकेश अग्निहोत्री) एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर हैं। आपको कम-से-कम जो फैक्चुअल पॉजिशन है उन सारी चीज़ों को ले करके आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस विधायक दल के नेता जी को ये जानकारी देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने अभी तक

के कार्यकाल में मात्र 1124 करोड़ रुपये ऋण लिये जबकि पिछली सरकारों के लिये गए ऋणों के 1038 करोड़ रुपये के ऋण इसी दौरान चुकता भी किये। --(व्यवधान)--

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः जब आप सरकार में बैठे हैं तो वह आपने ही चुकता करना है। अब आप सरकार में आए हैं तो यह आपको ही करना है। आप हर साल यही कहते रहेंगे कि आपके कर्ज़ों को चुकता करने के लिए कर्ज़े ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि वे कर्ज़ों से सरकार चलायेंगे। इन्होंने कहा है कि 26.64 के गैप को ऋणों द्वारा पूरा किया जायेगा यानी कर्ज़ों से सरकार चलायेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर आंकड़ों के हिसाब से ऋण देखें। --(व्यवधान)-- क्या आपके द्वारा लिया गया ऋण चुकता नहीं करना है? --(व्यवधान)--

अध्यक्षः मुकेश जी, आपको समय देंगे। आप बैठो।

मुख्य मंत्रीः आप एक बार बात सुन लीजिए। बाद में जो कहना होगा, वह कह लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अगर सही मायनों में और आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हमारी सरकार ने ऋणों को चुकता करने के अतिरिक्त अब तक मात्र 86 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। यह मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा --(व्यवधान)-- अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात नहीं है। हर बात को लेकर ये सम्भव नहीं हो सकता है।

16.03.2018/1255/SS-AG/2

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी दाएं-बाएं जा रहे हैं। हम मुख्य मंत्री जी को पिछले एक घंटे से सुन रहे हैं। जो हम चाह रहे हैं उसका जवाब नहीं आ रहा है। हम आपसे कह रहे हैं कि आपके इस साल कर्ज़े की कितनी प्रोजैक्शन है और पांच साल के कर्ज़ों की क्या प्रोजैक्शन है? वह डिटेल दे दो। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी, एक मिनट। 17 घंटे की चर्चा है। चार दिन की चर्चा है और एक-एक माननीय सदस्य का नाम ले करके माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई बात रहेगी, मुकेश जी हम आपको समय देंगे। आप चिट पर नोट कर लें, उसकी बात करेंगे, तो समय कम लगेगा और विषय ज्यादा आयेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि विकास के लिए व पिछले ऋणों व ब्याज को चुकता करने के लिए हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अन्तर्गत तय सीमा में ऋण लेंगे। हम इन ऋणों का बिना किसी फिजूलखर्ची के विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करेंगे। यह भी मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं। मैं इससे आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि पहले फिजूलखर्ची का आलम किस कद्र का था, यह सुनने वाली बात है। जब हमारे मित्रों का जाने का वक्त आया, सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा था तो मंडी में सरकारी कैबिनेट में एक निर्णय हुआ कि राहुल गांधी की मंडी में रैली करनी है। बड़ी रैली करनी है और उससे इलैक्शन कैम्पेन शुरू करना है। रैली तो बड़ी नहीं हुई, हम उस दिन मंडी में ही थे लेकिन अध्यक्ष महोदय क्या हुआ? 7 अक्तूबर, 2017 को मंडी की उस रैली में भीड़ एकत्रित करने के लिए एच0आर0टी0सी0 की बसें लगाई गईं और एच0आर0टी0सी0 की बसों का किराया सरकारी खजाने से 75 लाख रुपया गया है।

अध्यक्ष महोदय, वह फाइल मेरे पास अभी आई। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम को आप लोगों ने सरकारी कार्यक्रम बना दिया। हम वह फिजूलखर्ची का आलम आपका बता रहे हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण है। हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण कह सकते हैं। 75 लाख रुपया उस रैली के लिए खर्च किया। 7 तारीख को रैली की और 12 तारीख को आचार संहिता लग जाती है। --(व्यवधान)--

16.03.2018/1255/SS-AG/3

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः आप बताएं कि मोदी जी की कितनी रैलियां हुईं, उनका खर्चा किस हैड से किया? मोदी जी ने जितनी भी रैलियां कीं, उनका सारा पैसा पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज़ ने उठाया है।

16.03.2018/1300/केएस/डीसी/1

मुख्य मंत्री : एक रैली का बताइए आप। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से सारी चीजों का दुरूपयोग हुआ, यह एक उदाहरण मैंने इस माननीय सदन में रखा। (व्यवधान)

अध्यक्षः प्लीज़, प्लीज़।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी बजट स्पीच को पूरा ट्विस्ट कर रहे हैं और इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, हम ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं, हम पूरी बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमने कहा था कि नये मुख्य मंत्री है तो हम इनको सहयोग करेंगें । इन्होंने कहा था कि हम सरकारी नौकरियां देंगें लेकिन बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के युवा दुकानें खोले, उद्योग चलाए। इन्होंने प्रदेश का सारा युवा अपने पीछे लगा लिया और कहा कि मैं सरकारी नौकरी दूंगा लेकिन सरकारी नौकरी का कोई भी उल्लेख इस दस्तावेज में नहीं है।

मुख्य मंत्रीः मैं उसी पर आ रहा हूं।(व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, बेरोज़गारों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। कोई नौकरी नहीं है। मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि दुकानें खोलो, व्यापार चलाओ। बेरोज़गारों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। इन्होंने सारा युवा अपने पीछे लगा लिया था।

मुख्य मंत्रीः मुकेश जी, आप बैठिए तो सही, मैं उसी पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

16.03.2018/1300/केएस/डीसी/2

अध्यक्षः कृपया आप लोग बैठिए। मुख्य मंत्री जी आप बोलिए। (व्यवधान) भारद्वाज जी, आप बैठिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः नौकरियों का कोई बन्दोबस्त नहीं है। सुनामी वायदे किए गए जिनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। यह बजट विकास विरोधी है, रोज़गार विरोधी है। इस दस्तावेज में बताया है कि हम डटकर कर्जे लेंगें। इस माननीय सदन में आपके ही सदस्य

कह रहे हैं कि यह सरकार जय राम जी नहीं, आर.एस.एस. चला रहा है। (व्यवधान) आपने भी कहा कि हमें आर.एस.एस. पर गर्व है। आपने कहा था कि फैक्टर-॥ लाएंगें लेकिन इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं किया। रूसा की कोई बात नहीं की। इस सरकार ने बेरोज़गारों के साथ बहुत धोखा किया है।(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुकेश अग्निहोत्री जी , कर्नल धनीराम शांडिल जी,जगत सिंह नेगी जी, आशीष बुटेल जी और विक्रमादित्य सिंह जी ने बेरोज़गारी भत्ते की बात की।(व्यवधान) आप सुन तो लीजिए मैं बेरोज़गारी भत्ते की ही बात कर रहा हूं। सुन लीजिए। वर्तमान सरकार ने बेरोज़गारी भत्ता बन्द करने की बात नहीं कही। मैं अपने मित्रों को कहना चाहूंगा कि (व्यवधान) आपने क्या किया, मैं यही बता रहा हूं। आपने कहा कि बेरोज़गारी भत्ता देंगें और बेरोज़गारी भत्ता कितना दिया आपने? मैं अपने मित्रों को कहना चाहूंगा (व्यवधान)

अध्यक्षः कृपया बैठिए।

अपराह्न 1.05 बजे विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये आखिर चले गए और हम इस बात से वाकिब थे कि अन्ततोगत्वा यही करना है इन्होंने।

16.3.2018/1305/av/dc/1

मुख्य मंत्री------- जारी

अध्यक्ष : प्लीज, बोलिए मत। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप कंटिन्यू रखें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी एक ही बात का जिक्र किया था जिससे तल्ख होकर ये लोग बाहर चले गये हैं। यहां पर हमारे विपक्ष के कुछ मित्रों ने बेरोजगारी भत्ता बंद करने के बारे में जिक्र किया था। मैं उसमें यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2012 में चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

देंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को धोखा दिया था और अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में केवल 10 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया। प्रदेश में विधान सभा चुनाव आने से केवल 2-3 महीने पहले बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की गई। उस भत्ते के रूप में मात्र 10 करोड़ रुपये की राशि दी गई जिसका लाभ केवल 21 हजार लोगों को मिल पाया जबकि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या 10 लाख से ऊपर है। अब आप कल्पना कीजिए कि ये लोग यहां पर किस नाते बेरोजगारों के हित की बातें कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उन्हीं की सरकार का एक पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए यात्रा निकाल रहा था। अन्त में उसका कुछ नहीं हुआ वे यहां पर खुद ही नहीं आ पाये, उनकी यात्रा किसी और दिशा में चली गई। यहां पर मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो बात कही कि हमने इस बार बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने सही मायने में यह बजट बुक पढ़ी ही नहीं है जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में उनके पास श्रम एवं रोजगार विभाग था। इसलिए इसको अगर उन्होंने ध्यान से पढ़ा होता तो पता चलता कि हमने वर्ष 2018-19 के लिए बेरोजगारी भत्ते हेतु 40 करोड़ रुपये की राशि रखी है जबकि इनकी सरकार के समय में केवल 10 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। यहां पर

16.3.2018/1305/av/dc/2

सर्वश्री मुकेश अग्निहोत्री, धनी राम शांडिल, जगत सिंह नेगी, राजेन्द्र राणा, मोहन लाल ब्राक्टा और श्रीमती आशा कुमारी जी बेरोजगारों के हित की बात कर रही थीं। यहां पर कहा गया कि पिछली सरकार के समय में 19 हजार लोगों को रोजगार दिया गया लेकिन हकीकत कुछ और है। दिसम्बर, 2017 तक एच0पी0सर्बोडिनेट सर्विसिस सलैक्शन बोर्ड, हमीरपुर ने 2944 और हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन ने 716 पदों को भरने की संस्तुति की थी। अगर हम दोनों आंकड़ों को जोड़े तो यह कुल 3660 बनते हैं और कहते हैं कि हमने 19000 लोगों को रोजगार दिया। इस प्रकार से ये लोग पूरे पांच साल प्रदेश के युवाओं को

गुमराह करते रहे कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, इतने लोगों को नौकरी दे दी जबकि हकीकत यह है जो मैंने आपके समक्ष रखी है।

इसके अतिरिक्त, यहां पर हमारे पक्ष और विपक्ष के लगभग सभी साथियों ने सड़कों की दुर्दशा पर चिन्ता व्यक्त की है। मैं इस बात से सहमत हूं और सड़कों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता है। इस बारे में सर्वश्री लखविन्द्र सिंह राणा, रमेश चन्द ध्वाला, सुरेश कश्यप, जीत राम कटवाल, बलबीर वर्मा, विनोद कुमार, रविन्द्र कुमार, बलबीर सिंह, श्रीमती रीता देवी और कमलेश जी ने यानि लगभग सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है कि सड़कों की स्थिति को सुधारना चाहिए। मैं मान्य सदन में यह जानकारी देना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में सड़कों के रख-रखाव के लिए बहुत कम बजट का प्रावधान होता था लेकिन हमारी सरकार ने आते ही इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 के लिए भी हमने हिमाचल प्रदेश में सड़कों के रख-रखाव के लिए सौ करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा है

16.3.2018/1310/TCV/HK-1

माननीय मुख्य मंत्री.... जारी

जो कि आज तक के इतिहास में लोक निर्माण विभाग में सड़कों की मैंटेनेंस के लिए सबसे बड़ा बजट है। आज से पहले कभी इतना बजट नहीं होता था। केवलमात्र 10-15 करोड़ रुपये का बजट रखा जाता था। इसके साथ ही टारिंग का लक्ष्य 40 प्रतिशत् से बढ़ाकर उसको और ज्यादा करेंगे। हमने इस बजट में 2005 किलोमीटर सड़कों की टारिंग का लक्ष्य रखा है। इसके साथ-साथ निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'तृतीय पक्ष निरीक्षण' (Third Party Inspection) का प्रावधान पहली बार किया है, क्योंकि विभाग को काम करने दें और यह काम किसी स्वतंत्र एजेंसी को देना चाहिए। जिसकी निगरानी हम मुख्य मंत्री कार्यालय से स्वयं करेंगे। हमारी फ्लाईंग स्क्वॉड कहां जायेगी, किस साईट पर जायेगी, किस स्कीम का निरीक्षण करेगी, ये किसी को पता नहीं होगा। वह जायेगी और

सैंपल उठाकर लायेगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि यदि कहीं भी सैंपल फेल होता है या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा तो ठेकेदार पर कार्रवाई होगी और उसके साथ ही अगर विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी भी संलिप्त पाया जायेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने बजट के विज़न से संबंधित बातें कही हैं, मुझे लगता है कि जिन योजनाओं का मैंने जिक्र कर दिया हैं, ये योजनायें हमने नई शुरू की हैं। हमने 28 योजनायें इस बजट में एक साथ, बजट प्रोविजन के साथ शुरू की हैं। आज से पहले नयी योजनायें 2, 4 या 6 होती थीं, इससे ज्यादा योजनायें नहीं होती थीं। ये हमने पहली बार किया है। इस दिशा में हमने कदम बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि नयेपन और विज़न के साथ काम की शुरूआत हो सकें। हमारे विपक्ष के मित्र चले गये हैं, हम उनको एक्साइज़ पॉलिसी के बारे में कुछ कहना चाहते थे। उसका जिक्र करते हुए, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने बिना विभागीय प्रस्ताव के कैबिनेट में एच0पी0बी0एल0 के गठन का निर्णय लिया। जब भी कैबिनेट में कोई विषय

16.3.2018/1310/TCV/HK-2

लाना में कोई विषय लाना होता है, तो विभाग उसका एजेंड़ा बनाकर कैबिनेट में प्रस्तुत करता है। लेकिन इनके समय में, वह आईटम ओरली वहां पर बताई गई और उसके बाद शीघ्रातिशीघ्र उसको पारित कर दिया गया। इसके कारण प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एफ0आई0आर0 दर्ज़ हुई पड़ी है, जो पैसा एक्साइज़ डिपॉर्टमैंट को आना था, वह पैसा भी अभी तक रिकवर नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष महोदय यह बहुत लम्बी कहानी है। एच0पी0बी0एल0 के अधिकारियों ने बिना धन लिए करोड़ों रुपये की शराब उधार में बेच दी। ये भी इन्होंने आज तक के इतिहास में नया काम किया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एच0पी0बी0एल0 का गठन, होलसैल शराब की बिक्री को सरकार के तहत लेने के लिए लिया था, परन्तु आश्चर्य की बात है कि 2016-17 में एक प्राइवेट कम्पनी 'मैसर्ज़ ब्लयू लाईन' को प्रदेश में शराब के गोदाम खोलने की अनुमति दी गई। वर्ष 2017-18 में एक्साइज़ पॉलिसी में एल0-1 डी और एल0-13 डी लाइसैंस की अनुमति दी गई। जिसके कारण

एच0पी0बी0एल0 के शराब उत्पादकों को 1 अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक 12 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में एच0पी0बी0एल0 के गठन से जब शराब महंगी हो गई, तो शराब का मैक्सिमम सैल प्राईस हटा दिया गया और शराब महंगी हो गई। वरना उसमें मैक्सिमम और मिनिमम शराब की कीमत अंकित रहती है। लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट हटा दी गई और उसके कारण शराब बहुत महंगी हो गई। इस तरह से कुछ लोग इसमें करोड़ो रुपये कमा गये। ये आश्चर्य की बात है कि 2017 में शराब तो महंगी हो गई, परन्तु पहली बार प्रदेश में, शराब से प्रदेश सरकार का राजस्व 2016-17 से भी कम हो गया। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की गलत नीतियों को समाप्त करते हुए, वर्तमान सरकार ने पारदर्शी आबकारी नीति की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत छोटे-छोटे युनिट बनाये गये हैं, जिससे छोटे शराब के व्यावसायी भी भागीदार बन सकते हैं। हमने इस बार पारदर्शिता के साथ एक्साइज़ पॉलिसी को प्रस्तुत किया है और इससे आने वाले समय में प्रदेश को बहुत लाभ मिलेगा।

16-03-2018/1315/NS/HK/1

मुख्य मंत्री महोदय ------जारी।

पर्यटन की दृष्टि से हमारे साथी ज़िक्र कर रहे हैं कि नया कुछ नहीं किया है। उसका मैंने ज़िक्र कर दिया है, "नई राहें, नई मंजिल" 50 करोड़ की लागत से हमने नये वर्ज़िन डैस्टिनेशन को छांटा और वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की दृष्टि से पर्यटक वहां पहुंचे तथा उन सुन्दर स्थलों का आनन्द लें। उस दृष्टि से हमने इसकी शुरूआत की है। ये ऐसा नहीं कह सकते हैं। यहां कह रहे हैं कि बज़ट प्रावधान बहुत कम है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि विभाग का वर्ष 2018-19 का बज़ट 144 करोड़ रुपये का बज़ट प्रावधान है लेकिन 50 करोड़ रुपये की राशि का बज़ट प्रावधान यह पहली बार किया है, यह आज से पहले कभी बज़ट में नहीं करते थे, यह शून्य होता था। अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक और बात कही गई है कि विज़न डाक्यूमैंट वर्ष 2018-19 के लिए के बजट में शामिल नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-सारी योजनायें हैं, इन सबका जिक्र करने में बहुत समय लग जायेगा। हमने विज़न डॉक्यूमैंट को सरकारी दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया है। इसके साथ ही विज़न डॉक्यूमैंट की जो हमारी पहली प्राथमिकता है, उनमें से बहुत सारी योजनायें इस बजट का हिस्सा बनाकर इस माननीय सदन में प्रस्तुत की हैं और आगे

चलकर हम विज़न डॉक्यूमैंट को पूरा करेंगे। ताकि हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से जो वायदें किये हैं, उनको पूरा कर सकें।

यहां पर फसलों को बंदरों और अन्य जंगली जानवरों से बचाने की दृष्टि से चर्चा हुई है और हम इस बात से सहमत है। हालांकि यह कठिन काम है। ये विषय आज का नहीं, बल्कि बहुत पुराना है। हम पिछले 20-21 सालों से माननीय सदन में लगातार सुन रहे हैं। ये विषय तब से ऐसा ही है और ऐसे ही चला आ रहा है, जब हमारे सिर पर बाल थे। लेकिन उसके बाद भी हमने एक नये इनिशिएटिव के साथ कोशिश की है, और सोलर फैंसिंग के लिए 35 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसके साथ ही उसकी सबसिडी 5 प्रतिशत् बढ़ाकर 85 प्रतिशत् की है।

एंटी हेलगन के बारे में यहां पर श्री राकेश सिंघा जी व अन्य साथियों ने भी कहा था कि ये प्रयोग सफल नहीं है। अध्यक्ष महोदय मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रदेश में 3 एंटी हेलगन पायलट आधार पर जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र के अंतर्गत कठासू, देवरीघाट, भड़ेऊघाट में स्थापित की गई थीं । इनके अच्छे परिणाम

16-03-2018/1315/NS/HK/2

से प्रोत्साहित होकर, कुछ बागवानों ने अपने स्तर पर 4 एंटी हेलगन कलबोग, बागी, रतनाड़ी और महासू में स्थापित की हैं, जो सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। हमने इनका अध्ययन किया है और रिपोर्टस भी ली हैं। इसमें टैक्निकल चीज़ों को लेकर कमियां और त्रुटियां पाई गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस योजना को सफलता की दृष्टि से आंका जाये तो उस दृष्टि से आने वाले समय में इनसे लाभ होगा। क्योंकि हमारे पास बहुत-सारे बागवानों के प्रस्ताव आ रहे हैं कि हमारे यहां एंटी हेलगन लगाई जाये। जिस समय हमारे माननीय सदस्य श्री बरागटा जी ने एंटी हेलगन का इनीशिएट किया था, उस समय हमारे विपक्ष के लोगों ने बहुत शोर किया था। इन्होंने एंटी हेलगन, फेलगन के नारे यहां पर लगाये थे। लेकिन बाद में प्रस्ताव लेकर हमारे पास ही आते हैं कि हमें भी एंटी हेलगन दो और अंदर नारे लगाते थे। ये दोहरी चीज़ एक साथ नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार ने बागवानों की फसल की सुरक्षा की दृष्टि से एंटी हेलगन लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए हमने 60 प्रतिशत् उपदान देने के लिए भी कहा है और इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी रखा है।

श्री राकेश सिंघा, माननीय सदस्य यहां पर बैठें हैं। इन्होंने यहां यह विषय उठाया था कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप 7.9 प्रतिशत् हिस्सा लेने के बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने 27.09.2011 को दिये निर्णय में प्रदेश को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा परिचालित विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल का 7.19 प्रतिशत् का फैसला सुनाया था

16.03.2018/1320/RKS/YK-1

माननीय मुख्य मंत्री.. जारी

इस निर्णय के अनुसार दिनांक 1.11.2011 से विद्युत उत्पादन में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिजली मिलनी आरम्भ हो गई है। अब वर्ष 1996 से वर्ष 2011 तक बिजली उपदान की हिस्सेदारी के बकाया का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सरकार इस मामले पर गम्भीरता से प्रयास कर रही है। हाल ही में अटॉर्नी जनरल तथा तीनों प्रदेशों के अधिवक्ताओं की एक कमेटी गठित की गई है ताकि बकाया का भुगतान हो सके। इसकी बैठकों में प्रदेश ने अपना पक्ष दृढ़ता से रखा है। मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के हितों को सर्वोपरि रखकर इस मामले का निपटार करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके एरियर की राशि ज्यादा बन रही है इसलिए उन प्रदेशों से सहमति नहीं बन पा रही है। वे प्रदेश उतनी राशि देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी हम गम्भीरता से प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी ने कहा कि हाइड्रोफोनिक चारे को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार 'उत्तम चारा उत्पादन योजना' चला रही है। जिसमें उन्नत प्रकार के चारा को प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना में किसानों की मांग पर अजोला घास को भी प्रोत्साहित करना प्रस्तावित किया है, जोकि इस श्रेणी में आता है। उस दिशा में भी हमने कोशिश की है।

माननीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी ने गौ संवधर्न के संदर्भ में यह कहा थी कि इसमें दी जाने वाली भूमि किसके नाम हस्तांतरित होगी। गौवंश संरक्षण तथा संवर्धन के लिए, गौसदन की स्थापना के लिए, प्रदेश सरकार ने जो एक रुपये प्रति पट्टा देने की बात की है, वह भूमि पशुपालन विभाग के नाम पर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था की दृष्टि से कुछ बातों को लेकर हमारे कुछ साथियों ने यहां पर जिक्र किया। हिमाचल प्रदेश देव भूमि के नाम से जाना जाता है।

16.03.2018/1320/RKS/YK-2

यहां कानून-व्यवस्था स्थापित रहे, लोग शांतिपूर्ण माहौल में रहें उस दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर कई कदम उठाए गए हैं। पूर्व सरकार के समय क्या-क्या हुआ, उन सब बातों का जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं। हमारे विपक्ष के साथी सदन से बहिर्गमन कर गए हैं। गुड़िया कांड, होशियार कांड और इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हमने एक प्रयास किया है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था और बेहतरीन होनी चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से भी मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता है। प्रदेश में हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से चलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का माहौल भी ऐसा है कि यहां पर शांतिप्रिय और कानून के प्रति विश्वास रखने वाले लोग हैं। पूर्व में जो घटना हिमाचल प्रदेश में घटित हुई, जिसके कारण पूरी दुनिया में हिमाचल प्रदेश का नाम बदनाम हुआ, उन सारी चीजों को ठीक करने की दृष्टि से कदम उठाए गए हैं। चाहे वह गुड़िया हैल्प लाइन की बात है, होशियार सिंह हैल्प लाइन की बात है, या शक्ति ऐप की बात हो, ऐसे हमने कई कदम उठाए हैं। हमारा प्रशासन बहुत तत्परता के साथ कानून-व्यवस्था को संचालित करने के लिए अपना दायित्व निर्वहन कर रहा है। इसके लिए मैं उन सब को बधाई देता हूं।

'शिक्षा का गिरता स्तर।' प्रदेश में संस्थान, स्कूल खोले जा रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश को आखिर कहां ले जाना चाह रहे हैं? संस्थान खोलने के

बावजूद भी वहां क्या स्थिति बनी है? यह चिंता का विषय है। हमारे सामने चौंकाने वाले आंकड़े हैं। सरकारी स्कूलों में वर्ष 2012-13 में प्राइमरी से प्लस टू तक बच्चों की संख्या 10,49,886 से घटकर वर्ष 2017-18 में 8,54,811 रह गई है।

16.03.2018/1325/बी0एस0/वाई0के0-1

मुख्य मंत्री .....जारी

आप कल्पना करिए, सरकारी स्कूलो से आखिर बच्चे कहां जा रहे है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम संस्थान खोले जा रहे हैं, हम अन्धांधुध एक्पेंशन करते जा रहे हैं, स्कूल के फट्टे लग गए, लेकिन स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। फट्टे लगा दिए गए, लेकिन भवन नहीं । ऐसी व्यवस्था में बच्चे स्कूलों में जा करके क्या करेंगे? माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ठीक कहा, आखिर बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पर अध्यापक तो उपलब्ध होने चाहिए। आपने तो वहां भी स्कूल खोल दिए जहां पर बच्चे हैं ही नहीं। ऐसी नोटिफिकेशन कर दी जो जगह ही हिमाचल प्रदेश में मिल नहीं पाई। उसके बाद उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। आप उस सरकार की गम्भीरता का स्तर देखिए कितना नीचे होगा। अध्यक्ष महोदय, पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में बच्चों की 18.6 प्रतिशत की कमी हो गई है, यह सच्चमुच में हमारे लिए चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थिति में हम जो कदम उठा रहे हैं। वह यह कदम उठा रहे हैं कि छूट भले ही जरूरी होगी कहीं लेकिन उससे हट करके जो हमें करने की जरूरत है वह यह करने की जरूरत है कि शिक्षा के गिरते हुए स्तर को हमें ठीक करना पड़ेगा उसमें सुधार करना पड़ेगा। तभी हमारी आने वाली जनरेशन आगे पढ़ सकेगी और अपना कार्य सही ढंग से कर सकेगी और समाज में अपना योगदान दे सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि जो 90/10 का जो जिक्र कर रहे हैं वह तो यू.पी.ए. सरकार की देन है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार के कार्य काल में हिमाचल प्रदेश को सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 65 प्रतिशत मिलता था और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 75 प्रतिशत मिलता था, राष्ट्रीय पेयजल योजना के लिए 50 प्रतिशत मिलता था और आई.सी.डी.एस. के विशेष

कार्यक्रम के लिए 50 प्रतिशत मिलता था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का कि 28 अक्तूबर, 2015 को हमारी एन.डी.ए. की सरकार

16.03.2018/1325/बी0एस0/वाई0के0-2

ने जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं उन सभी को एक मूल केन्द्रीय प्रायोजित योजना में 90:10 के अनुपात में हिमाचल प्रदेश को मदद की। हमें उन मित्रों को समझ नहीं आता कि आखिर झूठ तो बोलें पर कितना झूठ बोलें ? वे उन आकंड़ो को पेश करने की कोशिश कर रहें है जिनमें कतई सच्चाई नहीं । अपने आप झूठे विकास का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं। अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को ले करके जो हमारे मित्र बाहर चले गए, उनके समक्ष ये सारी बातें हमने करनी थी, लेकिन वे बाहर चले गए लेकिन मुझे लगता है कि कभी वे अगर रिकार्ड तलाशेंगे तो उन्हें यह जानकारी निश्चित रूप से मिल जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुकेश जी और माननीय सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी एवं आदरणीय लखविन्द्र राणा जी ने कहा, कि यहां की डी.पी.आर. बनाने और सड़कों में विलम्ब और सलाहकारों की बात कही गई। अध्यक्ष महोदय, मैं उन मित्रों को इतना ही कहना चाहता हूं। वर्ष 2016 में राजमार्गों की घोषणा के उपरांत दिसम्बर, 2017 तक केवल 8 सलाहकार नियुक्त किए गए थे जो डी.पी.आर. बनाने के लिए सलाहकार नियुक्त होने थे, इसके लिए केन्द्र सरकार ने कहा कि हम पूरा पैसा देंगे आप डी.पी.आर. बनाओं, आप सलाहकार नियुक्त करो। लेकिन मात्र 2016 से 2017 तक पूरे सवा साल के कार्यकाल में 8 सड़कों की डी.पी.आर. के लिए सलाहकार नियुक्त किए गए । अब 43 सड़कों की डी.पी.आर. और उसके सलाहकारों की नियुक्ति की स्वीकृति के लिए हमने मामला भेज दिया गया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अभी अढ़ाई महीने का कार्य काल हुआ है।

कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू हमारे लिए है। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में काम कर सकें। आने वाले समय में जो 69 नेशन हाईवे जो

हिमाचल प्रदेश को मिले है, अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि उस दिशा में जल्दी से जल्दी काम हो।

16.03.2018/1330/DT/AG-1

मुख्य मंत्री.... जारी

लेकिन इनके कारण बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो गया और उस नुकसान के कारण विकास की दष्टि से हम बहुत पिछड़ें है। अध्यक्ष महोदय वह चले गये, मैं उनकों थोड़े से आंकड़े मैं बताना चाहा रहा था। क्या होता रहा? यहां हमसे पूछा जा रहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल के अन्तिम छः महीने में जो निर्णय लिये, विशेषतौर से संस्थान खोलने के, उनको रिव्यू करेंगे। रिव्यू क्यों न करें। आप कल्पना करिये पिछली सरकार के अन्तिम छः महीने जब उनके सत्ता से जाने का समय था तब 65 स्कूलों को प्राईमरी स्कूल स्तरोन्नत कर मिडल स्कूल बनाया गया, और 100 स्कूलों को मिडल स्कूल से होई स्कूल किया गया और 105 हाई स्कूलों को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल किया गया और जाते-जाते 16 कॉलेज खोले गये। मै यह भी इस मान्य सदन को बताना चाहता हूं कि वित्त विभाग ने इनमें से कितने मामलों के लिए मंजूरी दी है। 16 जो ड्रीग्री कॉलेज की अगर बात करें तो इनमें वित्त विभाग की कन्करन्स शून्य है। 16 में से एक भी ड्रिग्री कालेज के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति नहीं है। उसके बावजूद भी कॉलेज खोल दिये गये। Total number of GPS opened in last six months is 39. Total number of cases where concurrence of the Finance Department has not been obtained is 29. 39 में से 29 स्कूल वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना ही खोल दिये गये। आई0टी0आई0 की अगर हम बात करें तो पूर्व सरकार द्वारा अन्तिम छ महीनों में 15 आई0टी0आईज़ खोले गये और जिनमें वित्त विभाग की स्वीकृति ली गई उनकी संख्या मात्र 3 हैं। 2 पॉलटेकनिक कॉलेज खोले गये और दोनों में ही वित्त विभाग की कन्करन्स नहीं है। Institute of Hotel Management एक खोला गया उसमें भी वित्त विभाग की कन्करन्स नहीं है। स्वास्थ्य संस्थानों की अगर हम बात करें,26 हैल्थ सब-

सेन्टर खोले गये और इन 26 हैल्थ सेन्टरस में से केवल एक में ही वित्ता विभाग की कन्करन्स है शेष 25 संस्थानों में

16.03.2018/1330/DT/AG-1

वित्त विभाग की कन्करन्स नहीं है। 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले के मात्र एक में वित्त विभाग की कन्करन्स हैं शेष 50 में नहीं ली गई। 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये और केवल 3 में ही वित्त विभाग की कन्करेन्स है 9 में नहीं है। 15 सीविल हस्पताल खोले गये और मात्र 5 में ही वित्त विभाग की कन्करन्स है 10 मे नहीं है। इस तरह से पूर्व सरकार द्वारा जाते 104 स्वास्थ्य संस्थान खोले गये और 104 में से मात्र 10 में ही वित्त विभाग की कन्करन्स है और 94 में नहीं है। बहुत सारे विषय माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये और जिनका उत्तर हम माननीय सदस्यों के समक्ष देना चाह रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी वह सुनने के लिए तैयार नहीं थे, इस बात से हम वाक़िफ भी थे, हमे जानकारी थी कि उनकी सुनने की मंशा नहीं है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने की उनकी एक मानसिकता थी। और इसी मानसिकता के साथ इस बजट में उन्होनें अपनी बातें प्रस्तुत की। बजट में नये इनिशेटिव के साथ और बजट प्रोवीजन के साथ हमने काम करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं विपक्ष् के माननीय सदस्यों ने उसका अध्ययन नहीं किया। इन सभी चीज़ों को पढ़ने की उन्होनें जरूरत महसूस नहीं की। और मुझे लगा की यह वर्तमान सरकार पहला बजट था और पहले बजट में इस प्रकार बाहर जाने की रस्म अदा करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने भी आज तक बहुत सारे बजट देखे लेकिन यह हम भी मानते है कि अन्तिम दिनों में एक स्कोर सैटल करना होता है क्योंकि चुनाव होने वाला होता है, चुनाव के दौरान कुछ खबर लगनी चाहिए कि यह भी गलत है, वह भी गलत है। पहला बजट इस मान्य सदन में प्रस्तुत किया, मैं उन सारी चीजों की चिन्ता नहीं करता हूं लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे प्रदेश की जनता ने इस बजट को हिमाचल प्रदेश के लिए एक अच्छा बजट माना है।

16.03.2018/1335/SLS-AG-1

माननीय मुख्य मंत्री ...क्रमागत

उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए इस बजट को इस रूप में भी देखा है कि यह एक नया विज़न से भरा बजट है और परिपूर्ण है। इसमें दिशा है और हमारे रिसोर्सिज भले ही कम हैं लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इस दिशा में प्रयत्न किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मीडिया में भी जिस तरह से इस बजट की कवरेज आई है, उसके कारण भी मुझे लगता है कि हमारे मित्र परेशान हैं क्योंकि मीडिया में हकीकत बयान की गई है कि इस बजट में पिछले बजटों की तुलना में कुछ हटकर है और यह प्रदेश के हित के लिए है। यह बजट पहले से हटकर इसलिए भी है क्योंकि इस बजट में विज़न है उस दिशा में जहां हम हिमाचल प्रदेश को एक उम्मीद के साथ आगे ले जाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ़ इतना ही कहना है कि यह बजट हमने प्रदेश की गरीब जनता के लिए समर्पित किया है, किसानों और बागवानों के लिए समर्पित किया है, बेरोज़गारों को संसाधन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से हमने यह बजट समर्पित किया है। समाज के हमारे जितने भी वर्ग हैं जिनमें बुजुर्ग भी शामिल हैं; बुजुर्गों की पैंशन बढ़ाकर हमने उस दृष्टि से उनकी मदद की है। यहां तक कि बेसहारा पशुओं का भी इसमें ख़याल रखा गया है। इसमें हमने हर वर्ग को छूने की कोशिश की है। हमारा यह बजट मदद भरा है और यह प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

16.03.2018/1335/SLS-AG-2

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप अपनी बात कहिए।

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि इस सदन में बजट के ऊपर 16.49 घंटे की जो एक सार्थक बहस हुई, आज माननीय मुख्य

मंत्री जी द्वारा उस बहस में आए एक-एक प्रश्न का, जो पूरे सदन के सदस्यों ने उठाए हैं, उत्तर दिया है। उसके बावजूद बिना जवाब सुने विपक्ष के सदस्यों ने वॉक आऊट किया। वह पौना घंटा पहले यहां से चले गए हैं। उन्हें यह मालूम नहीं था कि क्या-क्या बोला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वह सदन से बहिर्गमन कर गए हैं, which is uncalled for. हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं।

अध्यक्ष : ...(व्यवधान)...

(माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ कहने लगे।)

माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनिए। ऐसा है, नियमों में बजट पर हुई चर्चा के उत्तर के पश्चात स्पष्टीकरण का प्रावधान नहीं है।

इससे पूर्व कि मैं सभा की बैठक स्थगित करूं, सदन की विभागीय स्थाई समितियों से अपेक्षा है कि वह सत्र के स्थगन के दौरान अनुदान मांगों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद अपने प्रतिवेदन 26 मार्च, 2018 को, जब सभा की बैठक पुनः प्रारंभ होगी, प्रस्तुत करें। मुझे पूर्ण आशा है कि समितियों के सभापति एवं सभी सदस्य गहन रुचि लेकर इस कार्य को संपन्न करेंगे और अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियां सरकार को देंगे।

अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार, 26 मार्च, 2018 के 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 16 मार्च, 2018 **सचिव।**